[2022] 10 एस. सी. आर. 595

बरुण चंद्र ठाकुर

वी.

मास्टर भोलु और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 950)

13 जुलाई, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, जे. जे.]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - एस. 15-प्रोविसो से एस। 15 (1) – निर्देशिका या अनिवार्य-आयोजितः व्याख्या का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि 'हो सकता है' शब्द जब किसी विधान में उपयोग किया जाता है तो वह अपने आप में एक निर्देशिका का अर्थ नहीं दर्शाता है-यदि किसी विशेष मामले में, समानता और न्याय के हित में अदालत को यह प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक वैधानिक कर्तव्य को व्यक्त करना है,

तब "हो सकता है" शब्द का उपयोग न्यायालय को इसे एक अनिवार्य रंग देने से नहीं रोकेगा-अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और इसके विधायी इरादे को देखते हुए, विशेष रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एस के परंतुक में "हो सकता है" अभिव्यक्ति। 15 (1) उसकी सहायता लेने की आवश्यकता

अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनो-सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञ तब तक अनिवार्य रूप से काम करेंगे जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शामिल न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर हो-इसके अलावा, यदि बोर्ड, कम से कम एक सदस्य के साथ अपनी संरचना को देखते हुए, जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर है, ऐसी सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो वह इसके लिए विशिष्ट कारणों को दर्ज करेगा।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - एस. 15-एस में उपयोग की जाने वाली भाषा के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन। 15 है।

" अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता "-

प्रयोग की गई अभिव्यक्ति बहुतायत में है अर्थात, अपराध के "परिणाम" और इसलिए, यह केवल अपराध के तत्काल परिणाम तक ही सीमित नहीं होगा-परिणाम सामग्री में हो सकते हैं /

शारीरिक रूप लेकिन आने वाले सभी समय के लिए बच्चे के मन और मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है-किशोर मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता का व्यक्तिगत मूल्यांकन एस द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। 15 - प्रारंभिक रिपोर्ट

मूल्यांकन मामले को स्थानांतरित करने के जर्मन प्रश्न का निर्णय करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाल न्यायालय में 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की 'मानसिक क्षमता और कानून के साथ संघर्ष में बच्चे की परिणामों को समझने की क्षमता' के इस मूल्यांकन को किसी भी तरह से एक निष्क्रिय और नियमित कार्य की स्थिति में नहीं डाला जा सकता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-सामाजिक जांच रिपोर्ट (एस. आई. आर.)-प्रासंगिकता-आयोजितः तैयारी एस. आई. आर. की आवश्यकता कानून के साथ संघर्ष करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा तैयार किया जाना है जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जा सकता है-एस. आई. आर. तैयार करने का उद्देश्य बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है-एस. आई. आर. एक प्रासंगिक सामग्री है जिस पर बोर्ड द्वारा कोई भी आदेश पारित करते समय निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

जमानत के संबंध में या पूछताछ या प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016-जांच के लिए समय-सीमा प्रदान की गई है।

जाँच रिपोर्ट (एस. आई. आर.), अधिनियम, 2015 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन और जाँच और मॉडल नियम-उद्देश्य और तर्क-आयोजित किए गएः विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई समयसीमा में एक

तर्क-पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाने वाला एस. आई. आर. बोर्ड को जल्द से जल्द जमानत के अनुरोध पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा-आर के तहत दी गई एक महीने की अवधि। 10 (5) बोर्ड को निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना किसी लंबित जमानत मामले पर या प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए हो सकता है जिसके लिए तीन महीने का समय हो सकता है।

बशर्ते-चार महीने के भीतर या किसी भी विस्तारित अवधि के भीतर जांच पूरी करना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक बच्चा यौन उत्पीड़न के अधीन नहीं है।

परीक्षणों और पूछताछ की अनावश्यक लंबी और लंबी प्रक्रियाएँ और

कि मामले को जल्द से जल्द इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 - एस. 15-प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य यू/एस। 15 विशेषज्ञता की आवश्यकता के साथ एक नाजुक कार्य है और मामले के मुकदमे के संबंध में इसके अपने निहितार्थ हैं-इस संबंध में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिशानिर्देश या निर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए उपयुक्त और विशिष्ट दिशानिर्देश जो बरुण चंद्र ठाकुर बनाम की सहायता कर सकते हैं।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर.

और किशोर न्याय बोर्ड को प्रारंभिक बनाने में सुविधा प्रदान करें

मूल्यांकन यू / एस. 15.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए जाने के परिणाम गंभीर प्रकृति के होते हैं और बच्चे के पूरे जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई भी आदेश जिसमें गंभीर नागरिक है

इसके परिणामस्वरूप, उचित अवसर दिया जाना चाहिए। द.

सवाल यह है कि ऐसे मामले में क्या उचित अवसर होगा जहां किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना है। [पैरा 46] [639-जी]

2. मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट के अवलोकन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह केवल बच्चे की मानसिक क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से था। रिपोर्ट में कथित अपराध करने के परिणामों के बारे में बच्चे के ज्ञान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

अपराध, न ही इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जो कथित अपराध की ओर ले जाती हैं। ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, जाहिरा तौर पर बोर्ड को केवल बच्चे की मानसिक क्षमता पर राय की आवश्यकता थी। [पैरा 49] [640-एफ-जी] 3. गोपनीयता बनाए रखने का एक अलग उद्देश्य है लेकिन किसी भी मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए,

बच्चे या उसके अभिभावक या माता-पिता को प्रासंगिक सामग्री प्रदान नहीं की जाएगी। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। की अवधारणा अधिनियम, 2015 की धारा 99 में उपयोग की गई गोपनीयता रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में आने या सार्वजनिक रूप से साझा करने से रोकने के लिए है। इसकी उपलब्धता कार्यवाही के पक्षों तक ही सीमित रहेगी और पक्षों को इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा करने से भी बचना चाहिए। धारा 99 (2) अबाधित खंड से शुरू होती है और यह निर्देश देने के लिए आगे बढ़ती है कि पीड़ित को मामले की रिपोर्ट, आदेश और प्रासंगिक कागजात तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक बार विधायिका

इरादा पीड़ित को ऐसी सामग्री प्रदान करना है जो गोपनीयता के नाम पर बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावकों को रिकॉर्ड तक इस तरह की पहुंच से इनकार करने का इरादा कभी नहीं हो सकता है। बोर्ड और बाल न्यायालय ने प्रावधान नहीं करने में अवैधता की अधिनियम, 2015 की धारा 99 की गलत व्याख्या करके मांगे गए दस्तावेज़। [पैरा 52] [641-डी-एफ] [2022] 10 एस. सी. आर.

5. यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत है कि आगे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था एक बार जब मनोवैज्ञानिक ने इसकी सिफारिश की थी और संस्थान का नाम भी सुझाया था। बोर्ड और बाल न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार था कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही थी, जिसका अर्थ है कि यदि बच्चे में अपराध करने की मानसिक क्षमता थी, तो उसके पास स्वतः ही अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता थी। यह उनके द्वारा की गई एक गंभीर गलती है। धारा 15 में उपयोग की जाने वाली भाषा "इसके परिणामों को समझने की क्षमता" है।

अपराध "। प्रयोग की गई अभिव्यक्ति बहुलता में है अर्थात अपराध के "परिणाम" और इसलिए, यह न केवल अपराध के तत्काल परिणाम तक सीमित होगा या कि अपराध की घटना का परिणाम केवल पीड़ित पर ही पड़ेगा, बल्कि यह अपने दायरे में उन परिणामों को भी लेगा जो न केवल हमले के परिणामस्वरूप पीड़ित पर, बल्कि पीड़ित के परिवार पर, बच्चे, उसके परिवार पर भी पड़ सकते हैं, और वह भी न केवल तत्काल परिणाम बल्कि दूरगामी भी।

भविष्य में परिणाम। [पारस 67 और 68] [646-एफ-एच; 647-ए-बी] बरुण चंद्र ठाकुर बनाम।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर.

6.1 . प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्याय बोर्ड में भी निहित है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 और 19 के तहत न्यायालय। द.

बाल न्यायालय, अपने दम पर, धारा 18 (3) के तहत निर्दिष्ट किए गए मामले पर, फिर भी जांच करेगा कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, और यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जाना है तो वह स्वयं एक बोर्ड के रूप में जांच करेगा और धारा 18 के तहत उचित आदेश पारित करेगा। इस प्रकार, प्रारंभिक कार्य करने की शक्ति

6.2 . निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह अभिनिर्धारित किया कि पर्याप्त अवसर से इनकार किया गया था उत्तरदाता। दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों की प्रतियां, बयान की प्रतियां, प्रतिवादी को एस. आई. आर. प्रदान नहीं किया जाना, मॉडल नियमों के नियम 10 (5) का स्पष्ट उल्लंघन था। [पैरा 82] [657-जी]

6.3 . रिपोर्ट देने वाले विशेषज्ञों की प्रतिपरीक्षा के लिए विशिष्ट अनुरोध के बावजूद, प्रतिवादी को यह प्रदान नहीं किया गया था। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण लागू नहीं थे या 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे पर लागू नहीं किए जा सकते थे। यह केवल एक परीक्षण में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और दूसरे परीक्षण में 11.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया जा सकता था। मनोवैज्ञानिक ने एक बेहतर सुविधा द्वारा आगे के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया था, जिसे बोर्ड द्वारा बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार नहीं किया गया था। [पैरा 83] [657-एच; 658-ए] [2022] 10 एस. सी. आर.

6.4 . बच्चे के आई. क्यू. के आधार पर लागू सूत्र के अनुसार मानसिक आयु 16 वर्ष से कम होगी। बोर्ड, बच्चे, उसके वकील, उसके पिता और सीबीआई के वकील को 35 पृष्ठों का अध्ययन करने के लिए केवल 30 मिनट का समय दिया गया।

रिपोर्ट, जो पढ़ने और समझने और खंडन में कोई सबूत देने के लिए बहुत कम थी। सी. बी. आई. के वकील ने स्वीकार किया था कि उसके पास संचालन के लिए अधिकारी या आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं था।

अधिनियम, 2015 के तहत जांच। उपरोक्त सभी कारणों से, उच्च न्यायालय ने बोर्ड और बाल न्यायालय दोनों के आदेशों को रद्द करने के बाद मामले को बोर्ड को भेज दिया ताकि नए सिरे से विचार किया जा सके और खुफिया, परिपक्वता, शारीरिक मूल्यांकन किया जा सके। फिटनेस और कानून के साथ संघर्ष में बच्चा अपराध के परिणामों को जानने की स्थिति में कैसे था। यह अभ्यास छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि नए सिरे से प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय, सरकारी अस्पताल (मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक) के मनोवैज्ञानिक की राय प्राप्त की जाए। यह न्यायालय सभी मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और आगे परीक्षण करने के लिए दिए गए निर्देश से सहमत नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतिम परिणाम से सहमत है कि त्रुटियों को सुधारने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया है।

बोर्ड या मनोवैज्ञानिक का विवेकाधिकार जिसके साथ इस बारे में परामर्श किया जा सकता है कि क्या कोई नई परीक्षा किसी भी प्रासंगिकता/सहायता की होगी या नहीं। अधिनियम, 2015 या मॉडल नियम बोर्ड को सुविधा प्रदान करने के लिए कोई दिशा-निर्देश या रूपरेखा निर्धारित नहीं करते हैं। प्रासंगिक पहलुओं पर उचित प्रारंभिक मूल्यांकन करना। बोर्ड को केवल एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनो-सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य की सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है।

विशेषज्ञ। वर्तमान मामले में, केवल बरुण चंद्र ठाकुर बनाम को प्राप्त करने के लिए सहायता ली गई है।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर.

परिणामों और उन परिस्थितियों को भी समझें जिनमें कथित अपराध किया गया था, किसी भी मनोवैज्ञानिक से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। [पैरा 85] [658-एफ-एच; 659-ए-बी] 6.6 . अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य विशेषज्ञता की आवश्यकता के साथ एक नाजुक कार्य है और मामले के मुकदमे के संबंध में इसके अपने निहितार्थ हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह समीचीन प्रतीत होता है कि इस संबंध में उचित और विशिष्ट दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। यह केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आयोग के लिए खुला है।

बाल अधिकारों का संरक्षण और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए या

इस संबंध में निर्देश जो अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने में बोर्ड की सहायता और सुविधा प्रदान कर सकते हैं। [पैरा 87] [659-सी-डी]

बच्चन देवी बनाम। नगर निगम, गोरखपुर (2008) 12

एससीसी 372: [2008] 2 एस. सी. आर. 424 और धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 338: [2007] 10

एस. सी. आर. 245-पर निर्भर। किशन पासवान बनाम। यू. ओ. आई. सिविल विविध। 2020 का डब्ल्यू. पी. सं. 5044; मुकर्रब बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एससीसी 210: [2016] 8 एस. सी. आर. 557; रक्षा लेखा नियंत्रक

(पेंशन) और ओआरएस। वी. एस. बालचंद्रन नायर (2005) 13 एससीसी 128 [2005] 4 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 431; अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और अन्न (2012) 9 एस. सी. सी. 469; राजेंद्र राजोरिया बनाम। जगत नारायण थापक और अन्न (2018) 17 एस. सी. सी. 234; जबर सिंह बनाम। दिनेश (2010) 3 एससीसी 757: [2010] 3 एस. सी. आर. 353; चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम। आशालता एस. गुरम (1986) 4 एससीसी 447: [1986] 3 एस. सी. आर. 866; मदनलाल फकीरचंद दुधिया बनाम। एस. चांगदेव

चीनी मिल 1962 ए. आई. आर. 1543: [1962] पूरक। एस. सी. आर. 973; चिन्नामार कथियम बनाम। अय्यवू एयर 1982 एससी 137: [1982] 2 एससीआर 146; ज्योति प्रकाश राय @ज्योति प्रकाश बनाम। बिहार राज्य (2008) 15 एससीसी 223: [2008] 3 एस. सी. आर. 818; बलराम बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य। (2017) 7 एससीसी 668: [2017] 5 एससीआर 367; शिल्पा मित्तल [2022] 10 एस।

वी. एन. सी. टी. राज्य और एक अन्य [2020] 2 एस. सी. आर. 478; जी. सुंदरराजन बनाम। भारत संघ और अन्य। (2013) 6 एस. सी. सी. 620 [2013] 8 एस. सी. आर. 631; शिल्पा मित्तल बनाम। एन. सी. टी. राज्य और एक अन्य सी. आर. एल. 2020 की अपील संख्या 34 [2020] 2

एस. सी. आर. 478; बच्चन देवी और अन्न। वी. नगर निगम गोरखपुर (2008) 12 एससीसी 372: [2008] 2 एससीआर 424; अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एस. सी. सी. 770 [2013] 8 एस. सी. आर. 863

त्रावणकोर बनाम. मोहम्मद मोहम्मद खान (1981) 4 एस. सी. सी. 82 [1982] 1 एस. सी. आर. 338; सोम प्रकाश रेखी बनाम। भारत संघ (1981) 1 एससीसी 449: [1981] 2 एससीआर 111; प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य (2005) 3 एससीसी

551 ; [2005] 1 एससीआर 1019; सलिल बाली बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2013) 7 एससीसी 705: [2013] 13 एससीआर 1020;

बम्बई प्रांत बनाम। कुसलदास एस. आडवाणी [1950] एससीआर 621; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। ए. पी. वक्फ बोर्ड 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 159; कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक पश्चिम बंगाल बनाम। सत्येन भौमिक (1981) 2 एस. सी. सी. 109: [1981] 2 एस. सी. आर. 661; नित्य धर्मानंद बनाम। गोपाल शीलम रेड्डी (2018) 2 एससीसी 93: [2017] 12 एससीआर 118; पुनः: आपराधिक मुकदमों से संबंधित दिशानिर्देश अपर्याप्तताएँ और कमियाँ v. आंध्र राज्य

प्रदेश और ओआरएस। (2021) 10 एससीसी 598: [2011] 2 एस. सी. आर. 1087; भारत संघ बनाम। आई. एन. डी.-स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (2011) 4 एस. सी. सी. 635: [2011] 2 एससीआर 1087; महाबीर सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2001) 7 एससीसी 148: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 37; ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम।

एक्सिस बैंक (2021) 6 एस. सी. सी. 707; आलोक नाथ दत्ता और अन्य। वी. बंगाल राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 230: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 662; शरत बाबू दिगुमार्ती बनाम। एन. सी. टी. दिल्ली

(2017) 2 एससीसी 18: [2016] 8 एससीआर 1015; फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम। श्रम न्यायालय (1985) 3 एस. सी. सी. 103: [1985] 3 एस. सी. आर. 491; दिल्ली नगर निगम बनाम गिरधारीलाल सप्रू (1981) 2 एस. सी. सी. 758; रामगोपाल गणपतराय रुइया बनाम। बॉम्बे राज्य [1958] एस. सी. आर. 618; कृष्णन बनाम।

कृष्णवेणी (1997) 4 एससीसी 241: [1997] 1 एस. सी. आर. 511; राजेश्वर सिंह बनाम सुब्रत राय सहारा (2013) 14 एस. सी. सी. 257; अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 145; यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन। वी. भारत संघ (1991)

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर.

4 एससीसी 584: [1991] 1 पूरक। एस. सी. आर. 251; एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी कानूनी प्रतिनिधि (राम) के माध्यम से

जन्मभूमि मंदिर मामला) v. महांत सुरेश दास और अन्य।

(2020) 1 एससीसी 1: [2019] 18 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

केंट बनाम. संयुक्त राज्य अमेरिका (383, यू. एस., 541,1966); नजीर अहमद

वी. राजा सम्राट 1936 आई. एल. आर. 372; राजा बनाम। सॉ मिन

1938 एस. सी. सी. ऑनलाइन रंग 68; सम्राट बनाम। एन. जी. चटर्जी

आई. एल. आर. 1946 ऑल-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 42 (x)

(b)

[2016] 8 एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पैरा 42 (x)

(c)

[2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 431 को संदर्भित किया गया

पैरा 42 (x)

(d)

(2012) 9 एस. सी. सी. 469

संदर्भित किया गया है

पैरा 42 (x)

(e)

(2018) 17 एससीसी 234

संदर्भित किया गया है

[2010] 3 एससीआर 353

पैरा 42 (x)

(f)

संदर्भित किया गया है

पैरा 42 (x)

(g)

[1986] 3 एससीआर 866

संदर्भित किया गया है

पैरा 42 (x)

(एच)

[1962] पूरक। एससीआर 973

संदर्भित किया गया है

[1982] 2 एससीआर 146

पैरा 42 (x)

(i)

संदर्भित किया गया है

[2008] 3 एससीआर 818

पैरा 42 (x)

(जे)

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

(xiv) (a)

[2017] 5 एससीआर 367

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

(xiv) (b)

[2020] 2 एससीआर 478

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

(xiv) (c)

[2013] 8 एससीआर 631

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (ए)

[2020] 2 एससीआर 478

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (b)

[2008] 2 एससीआर 424

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 863

पैरा 44

(xviii) (c)

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 338

पैरा 44

(xviii) (d)

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (ई)

[1981] 2 एससीआर 111

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (च)

[2005] 1 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (g)

[2013] 13 एससीआर 1020

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 621

पैरा 44

(xviii) (एच)

[2022

] 10 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैरा 44

(xviii) (जे)

[1981] 2 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (के)

[2017] 12 एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (1)

[2011] 2 एससीआर 1087

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (m)

[2011] 2 एससीआर 1087

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (पी)

[2001] 1 पूरक। एससीआर 37

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (q)

(2021) 6 एससीसी 707

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (r)

[2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 662 संदर्भित

पैरा 44

(xviii) (ओं)

[2016] 8 एससीआर 1015

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 एससीआर 491

पैरा 44

(xviii) (t)

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (u)

(1981) 2 एस. सी. सी. 758

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर 618

पैरा 44

(xviii) (v)

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (x)

[1997] 1 एससीआर 511

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (y)

(2013) 14 एस. सी. सी. 257

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (z)

1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 145

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(xviii) (एए)

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 पूरक। एससीआर 251

[2019] 18 एससीआर 1

पैरा 44

(xviii) (bb)

संदर्भित किया गया है

[2008] 2 एससीआर 424

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

[2007] 10 एससीआर 245

उस पर भरोसा करें

पैरा 78

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

950 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 11.10.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए न्यायपालिका 2018 का सी. आर. आर. सं. 2366।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 951।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , सुशील के.

टेकरीवाल, डॉ. ममता टेकरीवाल, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, सुश्री शुभांगनी जैन, पंकज सिंघल, सुश्री चेस्ता जेटली, सुश्री ए. साहित्य वीणा, यश गिरि, सचिन शर्मा, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, ओम प्रकाश शुक्ला, सुघोश सुब्रमण्यम, अरविंद कुमार शर्मा अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ, जे।

देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. इस न्यायालय को किशोर की धारा 15 के तहत किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन से उत्पन्न कार्यवाही की जांच करने के लिए कहा जाता है।

न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 1. निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के बाद अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के अनुरूप, हमने 'भोलू' नाम का उपयोग किया है।

अभियुक्त और पीड़ित के लिए 'राजकुमार'।

4. ये दो अपीलें, एक शिकायतकर्ता द्वारा और दूसरी सी. बी. आई. द्वारा दायर की गई, निर्णय और दिनांकित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाती हैं। 11.10.2018 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2018 के आपराधिक संशोधन No.2366 में पारित किया गया, जिसका शीर्षक भोलू बनाम सीबीआई था, जिसके तहत संशोधन की अनुमति दी गई थी; दिनांकित आदेश

20.12.2017 किशोर न्याय बोर्ड 2, गुरुग्राम द्वारा पारित और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/बाल न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर मामले को बोर्ड को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया। कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए गए थे। 11.10.2018 दिनांकित आदेश का परिचालन भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

इस बात की योग्यता कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर अपराध के परिणामों को जानने की स्थिति में कैसे था। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक अभ्यास किया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय, सरकारी अस्पताल के मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया जाए।

1 अधिनियम, 2015। 2 'बोर्ड' के लिए संक्षिप्त [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्य हैं:

इस प्रकार है:

08.09.2017 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई

((i)

गुरुग्राम में संस्थान जहां एक दूसरी कक्षा का छात्र (राजकुमार) शौचालय में लगभग 08.30 बजे बेहोश अवस्था में गला कटा हुआ पाया गया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरू में राज्य पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों, स्कूल वाहन के चालक और स्कूल के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जमानत पर रिहा कर दिए गए।

इस बीच, राज्य ने जांच को स्थानांतरित कर दिया

((ख)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 3. सी. बी. आई., अपने दौरान

जाँच में, एक ही संस्थान के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र (भोलू) से दो-तीन मौकों पर पूछताछ की गई, उसके बाद उसे 07.11.2017 (प्रतिवादी-1, दोनों अपीलों में) पर गिरफ्तार किया गया।

(iii)

उत्तरदाता का जन्म 03.04.2001 था। तारीख के रूप में घटना 08.09.2017 थी, संबंधित तिथि पर उनकी आयु 16 वर्ष 05 महीने और 05 दिन थी। प्रत्यर्थी की जन्म तिथि को लेकर कोई विवाद नहीं है।

6. अधिनियम, 2015 की धारा 10 के अनुसार, प्रतिवादी को सी. बी. आई. द्वारा 08.11.2017 पर बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। बोर्ड ने दिए निर्देश

बच्चे को सुरक्षा गृह में रखने के लिए। उत्तरदाता के माता-पिता को सूचित किया गया। अधिनियम की धारा 13 के तहत, सामाजिक जांच रिपोर्ट कानूनी परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी और प्रस्तुत की गई थी 27.11.2017 निर्धारित प्रपत्र संख्या 6 में।

7. अधिनियम, 2015 की धारा 15 में कहा गया है कि जहां कानून के साथ टकराव में एक बच्चे ने एक जघन्य अपराध किया है और उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, बोर्ड प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा और अधिनियम, 2015 की धारा 18 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

3 " सी. बी. आई. "संक्षेप में 4" प्रतिवादी "के लिए संक्षिप्त 5" एस. आई. आर ". के रूप में संदर्भित।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

8. वर्तमान मामले में, अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत आवश्यक दोनों शर्तों को पूरा किया गया था क्योंकि बोर्ड ने

प्रारंभिक मूल्यांकन करने का अभ्यास। उस प्रक्रिया में, बोर्ड ने विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक से एक रिपोर्ट मांगी, प्रतिवादी के साथ भी बातचीत की, एस. आई. आर. के साथ-साथ उसके सामने रखी गई अन्य सामग्री पर भी विचार किया और 20.12.2017 पर एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी और तदनुसार, बाल न्यायालय में कागजात स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।

9. दिनांकित 20.12.2017 आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 101 के तहत बाल न्यायालय के समक्ष अपील की,

2015. बाल न्यायालय ने दिनांक 21.05.2018 के फैसले और आदेश के माध्यम से बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।

10. बाल न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत आपराधिक संशोधन को प्राथमिकता दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से संशोधन की अनुमति दी, बोर्ड और बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए बोर्ड को भेज दिया। यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिमांड का आदेश है, जिसकी शुद्धता पर वर्तमान दो अपीलों में सी. बी. आई. और शिकायतकर्ता द्वारा भी हमला किया गया है।

11. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांकित है और उसके निर्देश के अनुसार, बोर्ड को छह सप्ताह के भीतर मामले पर नए सिरे से निर्णय लेना था। उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय के समक्ष दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं। शिकायतकर्ता द्वारा एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) के रूप में पंजीकृत। 2018 का सं. 10123 और दूसरा सी. बी. आई. द्वारा एस. एल. पी. (2019 की डायरी सं. 25451) के रूप में पंजीकृत। इस अदालत ने शिकायतकर्ता बरुण चंद्र ठाकुर द्वारा दायर पहली विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करते हुए 19.11.2018 पर यथास्थिति का आदेश भी पारित किया। सी. बी. आई. द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को विशेष अनुमति याचिका के साथ जोड़ा/टैग किया गया था। शिकायतकर्ता। ये मामले साढ़े तीन साल से अधिक समय से लंबित हैं। रिकॉर्ड से हम दोनों याचिकाओं की जल्द सुनवाई या निपटारे के लिए पक्षों की ओर से 3 साल से अधिक समय तक कोई प्रयास नहीं पाते हैं। केवल जनवरी, 2022 में प्रतिवादी के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को सुनवाई के लिए लिया जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है और बहुत जल्द, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। इन मामलों को कई मौकों पर उठाया गया और

दोनों पक्षों की दलीलें काफी देर तक सुनी गईं।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हमने श्री विक्रमजीत बनर्जी, सी. बी. आई. के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल-अपीलार्थी, श्री सुशील टेकरीवाल, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील-अपीलार्थी और श्री सिद्धार्थ लूथरा, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

13. अग्रिम प्रस्तुतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, वैधानिक प्रावधानों को संक्षेप में संदर्भित करना उचित होगा,

अधिनियम, 2015 की योजना और प्रारंभिक आवश्यकता

अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत मूल्यांकन। अधिनियम, 2015 के आने से पहले, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 20006 लागू था। उक्त अधिनियम के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को किशोर माना जाना था और बोर्ड द्वारा इस तरह से मुकदमा चलाया जाना था। यह अधिनियम, 2015 के आने के बाद ही 16 से 18 वर्ष के किशोरों में से एक और श्रेणी बनाई गई थी। जघन्य अपराध। उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन के अधीन किया गया था कि क्या उन्हें बोर्ड द्वारा एक बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या बाल न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है। हालाँकि, 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए, यदि बोर्ड की राय थी कि उक्त किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, तो बोर्ड अधिनियम, 2015 के तहत परिकल्पित मुकदमे को जारी रखेगा।

14. अधिनियम, 2000 और अधिनियम, 2015 को निम्नलिखित प्रस्तावना के साथ अधिनियमित किया गया थाः

" कथित और कानून और जरूरतमंद बच्चों के साथ टकराव में पाए जाने वाले बच्चों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, सामाजिक कल्याण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और सुरक्षा।

एकीकरण, बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निर्णय और निपटान में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर और

प्रदान की गई प्रक्रियाओं और इसके तहत और संबंधित मामलों के लिए स्थापित संस्थानों और निकायों के माध्यम से उनका पुनर्वास

इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधान

15. अध्याय I में धारा 1 और 2 शामिल हैं (जो परिभाषा संग्रह है)। धारा 2 (9) "बच्चे के सर्वोत्तम हित" को परिभाषित करती है; धारा 2 (12) एक "बच्चे" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं।

आयु के वर्ष; धारा 2 (13) "कानून के साथ संघर्ष में बच्चा" को परिभाषित करती है; "बच्चा

" इसके बाद 'अधिनियम, 2000' के रूप में संदर्भित बरुण चंद्र ठाकुर बनाम।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

'अनुकूल' को धारा 2 (15) के तहत परिभाषित किया गया है; 'बाल न्यायालय' को धारा 2 (20) के तहत परिभाषित किया गया है; 'जघन्य अपराध' को धारा 2 (33) के तहत उन अपराधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जिनके लिए न्यूनतम सजा कारावास है। सात साल या उससे अधिक के लिए।

16. अध्याय 2 में धारा 3 शामिल है जिसमें बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों का पालन करने का प्रावधान है।

अधिनियम का प्रशासन। इसके अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड और अन्य एजेंसियां, जो भी मामला हो,

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय खंड (i) से (xvi) में उल्लिखित मौलिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करना सार्थक होगा; खंड (i) निर्दोषता के अनुमान का सिद्धांतः किसी भी बच्चे को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से निर्दोष माना जाएगा; खंड (iii) भागीदारी का सिद्धांतः प्रत्येक बच्चे को अपनी बात सुनने और अपने हित को प्रभावित करने वाली सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होगा; खंड (iv) सर्वोत्तम हित का सिद्धांतः संबंधित सभी निर्णयों में प्राथमिक विचार

बालक अपने सर्वोत्तम हित में होगा; खंड (ix) अधिकारों की छूट न देने का सिद्धांतः यह बच्चे के किसी भी अधिकार की छूट की अनुमति नहीं देता है और यहां तक कि मौलिक अधिकार का प्रयोग न करना भी छूट के बराबर नहीं होगा; खंड (xvi) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतः निष्पक्षता के मानक होंगे

इस अधिनियम के तहत न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम और समीक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए पालन किया जाता है।

17. अध्याय III में धारा 4 से 9 शामिल हैं -

बोर्ड का गठन, बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया, शक्तियाँ,

बोर्ड के कार्य और जिम्मेदारियाँ। धारा 4 की उप-धारा (1) प्रत्येक जिले में एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करती है जो अधिनियम के तहत कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक से अधिक हो सकता है। धारा 4 की उप-धारा (2) बोर्ड के गठन को परिभाषित करती है। उप-धारा (3) बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की पात्रता का प्रावधान करती है। उप-धाराएँ (4), (5), (6) और (7) बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन, अयोग्यता, कार्यकाल और प्रशिक्षण के लिए पात्रता प्रदान करती हैं। धारा 5 में कहा गया है कि यदि बोर्ड द्वारा किसी भी जांच के दौरान, बच्चा अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो बोर्ड अंतिम आदेश पारित करने के लिए जांच जारी रखेगा जैसे कि ऐसा व्यक्ति अभी भी बच्चा है। धारा 6 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है जब वह आयु [2022] 10 एस. सी. आर. से कम था।

अठारह वर्ष का, तब, इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वह

जाँच प्रक्रिया के दौरान एक बच्चे के रूप में व्यवहार किया जाए। धारा 7 में अपने व्यवसायों के लेन-देन के लिए बोर्ड की बैठकों का प्रावधान है। यह बोर्ड के कोरम को भी संदर्भित करता है। धारा 8 बोर्ड की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। धारा 9 एक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जिसे अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जब उसकी राय है कि उसके सामने लाया गया कोई भी कथित अपराधी बच्चा है। उस मामले में, मजिस्ट्रेट तुरंत अपनी राय दर्ज करेगा और बच्चे को कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ अधिकार क्षेत्र वाले बोर्ड को भेजेगा।

18. अध्याय 4 में धारा 10 से 26 तक शामिल हैं -

कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संबंध में प्रक्रिया। धारा 10 और 11 में कानून के साथ टकराव में एक बच्चे की आशंका और उससे कैसे निपटा जाना चाहिए, इसका प्रावधान है। धारा 12 एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से संबंधित है जो

जाहिरा तौर पर एक बच्चे पर कानून के साथ टकराव का आरोप है। धारा 13 में प्रावधान है कि माता-पिता, अभिभावकों को तुरंत सूचित किया जाए। धारा 14 बोर्ड से कानून के साथ टकराव में एक बच्चे के संबंध में जांच करने की अपेक्षा करती है, ऐसी जांच की जानी चाहिए और अधिनियम, 2015 की धारा 17 और 18 के तहत उचित आदेश पारित किए जाने चाहिए।

19. धारा 15 में प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान है जहां कथित अपराध जघन्य है और जहां बच्चा 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है, बोर्ड से ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों और उन परिस्थितियों को समझने की क्षमता के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिनमें उसने कथित रूप से अपराध किया है और इस तरह के मूल्यांकन के बाद, उप-धारा (3) के अनुसार एक आदेश पारित करें।

धारा 18. यदि बोर्ड की राय है कि बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है तो मामले को ऐसे अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। अन्यथा, बोर्ड स्वयं आपराधिक संहिता के तहत समन मामले के रूप में मामले की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा।

प्रक्रिया, 1973.7

20. धारा 16 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को तीन महीने में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है और लंबित होने के आधार पर उस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

' संक्षेप में, 'Cr.P.C।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

21. धारा 17 बोर्ड से उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा करती है जहां जांच के बाद बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है।

अपराध। बोर्ड उचित आदेश भी पारित कर सकता है जहाँ बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है और उसे बाल कल्याण समिति को भेज सकता है।

22. धारा 18 बोर्ड से उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा करती है जहां बच्चा कानून के साथ संघर्ष में पाया जाता है। विभिन्न श्रेणियां हैं -

बोर्ड को ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनकी आयु सोलह वर्ष से कम है और जिन्होंने जघन्य अपराध किया है और अठारह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए जिन्होंने छोटा अपराध या गंभीर अपराध किया है। धारा 18 की उप-धारा (1) और इसके विभिन्न खंड (ए) से (जी) तक बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए विभिन्न शक्तियां प्रदान करते हैं। उप-धारा (2) बोर्ड को उसके हित में शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, नशा मुक्ति कार्यक्रम प्रदान करने और यहां तक कि बच्चे की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। उप-धारा (3) में प्रावधान है कि बोर्ड यदि धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद एक आदेश पारित करता है कि

एक वयस्क के रूप में बच्चे के मुकदमे की आवश्यकता है, तो बोर्ड ऐसे मामले के मुकदमे को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है

अधिकार क्षेत्र।

23. धारा 19 बाल न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों से संबंधित है। प्रारंभिक मूल्यांकन की प्राप्ति पर बाल न्यायालय

बोर्ड से यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या Cr.P.C के अनुसार एक वयस्क के रूप में एक बच्चे के परीक्षण की आवश्यकता है और इस धारा के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 21 के अधीन परीक्षण के बाद उचित आदेश पारित करेगा। हालाँकि, यदि बाल न्यायालय को लगता है कि एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह एक बोर्ड के रूप में जांच कर सकता है और धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है। धारा 19 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के संबंध में अंतिम आदेश में अन्य निर्देशों सहित बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी। उप-धारा (3) के तहत, बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के साथ टकराव में एक बच्चा 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर रहे। और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। उप-धारा (3) का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा, कौशल विकास सहित सुधारात्मक सेवाएं,

परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोरोग सहायता हैं -

उस अवधि के दौरान प्रदान किया जाता है जब बच्चा सुरक्षित स्थान पर होता है। उप-धारा (4) के तहत, बाल न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि परिवीक्षा अधिकारी या जिला [2022] 10 एस. सी. आर. द्वारा सालाना एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट हो।

प्रगति के मूल्यांकन के लिए बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता

और यह भी सुनिश्चित करना कि बच्चे के साथ किसी भी रूप में कोई बुरा व्यवहार न हो।

24. धारा 20 (1) बच्चे की प्रगति और मूल्यांकन के संबंध में बाल न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है।

28. धारा 24 के तहत, एक सुरक्षा प्रदान की गई है कि कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को किसी भी ऐसे कानून के तहत किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके खिलाफ अपराध स्थापित किया जा रहा है। हालाँकि, यह सुरक्षा उस बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है और जिसे बाल न्यायालय द्वारा कानून के साथ टकराव में पाया गया है।

धारा 19 (1) (i) के तहत। धारा 24 की उप-धारा (2) में विभिन्न स्थितियों में अभिलेखों को नष्ट करने का प्रावधान है।

29. धारा 25 में यह प्रावधान है कि किसी के समक्ष सभी लंबित कार्यवाहियां

इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को बोर्ड या न्यायालय उसी बोर्ड या न्यायालय में जारी रहेगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था।

30. धारा 26 बच्चों को भगाने के संबंध में प्रावधान करती है

कानून के खिलाफ। उपरोक्त विभिन्न प्रावधानों का ध्यान रखता है।

कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित अध्याय IV में निहित है।

31. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के तहत, यह केवल नियम 10 (ए) है जो प्रारंभिक को संदर्भित करता है। 8 इसके बाद "मॉडल नियम" के रूप में संदर्भित बरुण चंद्र ठाकुर बनाम।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का मूल्यांकन। उप-नियम (1) में उल्लेख किया गया है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली पहली बात यह है कि बच्चे की आयु 16 वर्ष से कम है या उससे अधिक है।

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किया गया। उप-नियम (2) में उल्लेख किया गया है कि बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ काम करने का अनुभव है। यह भी प्रदान करता है कि जिला बाल संरक्षण इकाई के पास ऐसे विशेषज्ञों का एक पैनल होगा जिसे बोर्ड को उसकी सहायता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा अन्यथा बोर्ड स्वतंत्र रूप से ऐसे विशेषज्ञों तक पहुंच सकता है। उप-नियम (3) घोषित करता है कि बच्चा होगा

निर्दोष माना जाता है जब तक कि ऐसा करते समय अन्यथा साबित न हो जाए प्रारंभिक मूल्यांकन। उप-नियम (4) में बोर्ड द्वारा परिणामी आदेश पारित करने का प्रावधान है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बच्चे का मुकदमा एक वयस्क के रूप में किया जाना है, जिसके लिए कारण निर्दिष्ट करने और आदेश की प्रति प्रदान करने की आवश्यकता है।

32. हम ऊपर उल्लिखित सभी प्रावधानों को उद्धृत नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत कर रहे हैं, जो अधिनियम, 2015 की धारा 4,14,15,18 और 19 के साथ-साथ मॉडल नियमों के नियम 10 ए भी हैं। उन्हीं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" भाग 4: किशोर न्याय बोर्ड

(1) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973, राज्य सरकार, संघर्ष में बच्चों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों का गठन करेगी।

इस अधिनियम के तहत कानून के साथ।
(2) एक बोर्ड में कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसके बाद प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में संदर्भित किया गया है) नहीं होगा और दो सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से चुने जाएंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, एक पीठ का गठन करेगी और ऐसी प्रत्येक पीठ के पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मामले के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियां होंगी।

प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है।

(3) किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, [2022] 10 एस. सी. आर. में सक्रिय रूप से शामिल न रहा हो।

बोर्ड, अगर वह अधिकार या बाल अधिकार; (ii) नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और इस तरह की सजा को वापस नहीं किया गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूरी तरह से माफी नहीं दी गई है; (iii) केंद्र की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

सरकार या राज्य सरकार या कोई उपक्रम या

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास, कानूनी प्रावधानों और न्याय पर बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट सहित सभी सदस्यों को प्रशिक्षण और संवेदीकरण प्रदान किया जाए। (6) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और जिस तरीके से ऐसा सदस्य इस्तीफा दे सकता है, वह ऐसा होगा, जो हो सके -

निर्धारित किया गया।

(7) प्रधान मजिस्ट्रेट को छोड़कर बोर्ड के किसी भी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच करने के बाद समाप्त की जा सकती है, यदि वह

(i) इसके तहत निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है।

अधिनियम; या

((ii) बोर्ड की कार्यवाही में लगातार भाग लेने में विफल रहता है।

बिना किसी वैध कारण के तीन महीने के लिए; या
((ग) तीन-चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है।

वर्ष; या

((iv) सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उप-धारा (4) के तहत अयोग्य हो जाता है।

XXX

XXX

XXX रन चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

(1) जहां किसी बच्चे पर कानून के साथ टकराव का आरोप लगाया जाता है, उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, तो बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करेगा और इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत ऐसे बच्चे के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। (2) इस धारा के तहत जांच बोर्ड के समक्ष बच्चे के पहले पेश होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, अवधि को अधिकतम दो और महीनों के लिए नहीं बढ़ाया जाता है।

ऐसे विस्तार के लिए। (3) जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन

बोर्ड के समक्ष बच्चे के पहले पेश होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा धारा 15 का निपटारा किया जाएगा।

बशर्ते कि गंभीर या जघन्य अपराधों के लिए, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दिया जाएगा।

(5) बोर्ड निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा, अर्थात्: (क) जाँच शुरू करते समय, बोर्ड स्वयं को संतुष्ट करेगा कि कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के अधीन नहीं किया गया है

पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दुर्व्यवहार, जिसमें एक वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी शामिल है और इसके मामले में सुधारात्मक कदम उठाना

इस तरह के बीमार-उपचार; (ख) अधिनियम के तहत सभी मामलों में, कार्यवाही यथासंभव सरल तरीके से की जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि

कि जिस बच्चे के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बच्चों के अनुकूल वातावरण दिया जाए; [2022] 10 एस. सी. आर.

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा -

सुनवाई और जांच में भाग लेने का अवसर;

(घ) छोटे अपराधों के मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से;

(ङ) गंभीर अपराधों की जांच का निपटारा बोर्ड द्वारा, प्रक्रिया का पालन करते हुए, समन मामलों में सुनवाई के लिए किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973;

((ii) सोलह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए अपराध करने के तरीके से निपटा जाएगा

धारा 15 के अधीन विहित।

धारा 15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन।

(1) सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक आयु के बच्चे द्वारा कथित रूप से किए गए जघन्य अपराध के मामले में, बोर्ड प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा - ऐसा अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और उन परिस्थितियों के संबंध में जिसमें उसने कथित रूप से अपराध किया है, और धारा 18 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है:

बशर्ते कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है

कि प्रारंभिक मूल्यांकन एक परीक्षण नहीं है, बल्कि कथित अपराध के परिणामों को करने और समझने के लिए ऐसे बच्चे की क्षमता का आकलन करना है।

(2) जहां बोर्ड को प्रारंभिक मूल्यांकन पर संतोष होता है कि बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत समन मामले में मुकदमे के लिए, जहां तक हो सके, प्रक्रिया का पालन करेगा:

रन चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

बशर्ते कि मामले को निपटाने के लिए बोर्ड का आदेश

धारा 101 की उप-धारा (2) के तहत अपील की जाएगीः

बशर्ते कि इस धारा के तहत मूल्यांकन

धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

XXX

XXX

XXX

धारा 18: बच्चे के संबंध में आदेश कानून के साथ टकराव में पाए गए। (1) जहां किसी बोर्ड को जांच पर संतोष होता है कि किसी बच्चे ने, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, कोई छोटा अपराध किया है या कोई गंभीर अपराध किया है, या सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने एक जघन्य अपराध किया है, तो, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, और अपराध की प्रकृति के आधार पर, पर्यवेक्षण या हस्तक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता,

सामाजिक जाँच रिपोर्ट और बच्चे के पिछले आचरण में सामने लाई गई परिस्थितियों के अनुसार, बोर्ड, यदि वह उचित समझता है,

(क) ऐसे बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक से उचित पूछताछ और परामर्श का पालन करके बच्चे को सलाह या चेतावनी के बाद घर जाने की अनुमति दें;

(ख) बच्चे को समूह परामर्श और इसी तरह की गतिविधियों में भाग लेने का निर्देश देना। (ग) बच्चे को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दें।

एक संगठन या संस्थान, या एक निर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या बोर्ड द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों के समूह का पर्यवेक्षण;

(घ) बच्चे या माता-पिता या बच्चे के अभिभावक को जुर्माना देने का आदेश देंः बशर्ते कि, यदि बच्चा काम कर रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उस समय लागू किसी भी श्रम कानून के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

(ई) बच्चे को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने और किसी भी माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखने का निर्देश दें। ऐसे माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति पर, जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार और बच्चे के कल्याण के लिए, बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार, मुचलके के साथ या बिना मुचलके का निष्पादन करता है;

(च) बच्चे को अच्छे आचरण के परीक्षण पर रिहा करने और [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए किसी भी उपयुक्त सुविधा की देखभाल और पर्यवेक्षण के तहत रखने का निर्देश दें।

तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार और बच्चे की भलाई सुनिश्चित करना।

(छ) शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श सहित सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए बच्चे को तीन साल से अधिक की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने का निर्देश दें।

व्यवहार संशोधन चिकित्सा, और मनोचिकित्सा सहायता

विशेष घर में रहने की अवधिः

बशर्ते कि यदि बच्चे का आचरण और व्यवहार ऐसा रहा है कि यह बच्चे के हित में या किसी विशेष घर में रखे गए अन्य बच्चों के हित में नहीं होगा, तो बोर्ड ऐसे बच्चे को सुरक्षा के स्थान पर भेज सकता है। (2) यदि कोई आदेश उप-धारा (1) के खंड (ए) से (जी) के तहत पारित किया जाता है, तो बोर्ड इसके अलावा निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता हैः

((i) विद्यालय में उपस्थित होना; या

((ii) किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में भाग लें; या
((ग) किसी चिकित्सीय केंद्र में उपस्थित हों; या

((iv) बच्चे को घर आने, बार-बार आने या आने से रोकें।

एक निर्दिष्ट स्थान; या

(v) एक व्यसन-मुक्ति कार्यक्रम से गुजरें।

(3) जहां बोर्ड धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद एक आदेश पारित करता है कि उक्त बच्चे के मुकदमे की आवश्यकता है

एक वयस्क, तब बोर्ड मामले के मुकदमे को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, जिसे ऐसे अपराधों का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है।

धारा 19: बाल न्यायालय की शक्तियाँ।

(1) धारा 15 के तहत बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन की प्राप्ति के बाद, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने और बच्चे की विशेष जरूरतों, निष्पक्ष मुकदमे के सिद्धांतों और बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए इस धारा और धारा 21 के प्रावधानों के अधीन परीक्षण के बाद उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

((ii) वयस्क के रूप में बच्चे के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है और हो सकता है

एक बोर्ड के रूप में जांच करें और उचित आदेश पारित करें

धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार।

रन चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

(2) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के संबंध में अंतिम आदेश में बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई शामिल होगी।

(3) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चा कानून के साथ टकराव में पाया जाता है, उसे बीस-एक वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए:

बशर्ते कि शिक्षा सहित सुधारात्मक सेवाएँ

(4) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल द्वारा हर साल एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट हो। सुरक्षा इकाई या एक सामाजिक कार्यकर्ता, आवश्यकतानुसार, सुरक्षा के स्थान पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे के साथ किसी भी रूप में कोई दुर्व्यवहार न हो।

(5) उप-धारा (4) के तहत रिपोर्टों को रिकॉर्ड और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय को भेजा जाएगा, जिसकी आवश्यकता हो।

XXX

XXX

XXX

नियम 10 ए। बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन -

(1) बोर्ड सबसे पहले यह निर्धारित करेगा कि क्या

सुरक्षा इकाई, जिसकी सहायता बोर्ड द्वारा ली जा सकती है या स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जा सकती है। (3) प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय, बच्चे को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

कहा गया है कि बच्चा एक वयस्क के रूप में, वह इसके लिए कारण बताएगा और आदेश की प्रति बच्चे को तुरंत प्रदान की जाएगी।

बोर्ड से पहले की प्रक्रियाएँ

35. प्रत्यर्थी की ओर से, अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधान का पालन करने के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर किए गए थे; एस. आई. आर. की प्रति, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने और खंडन में साक्ष्य देने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया था; और तीसरा प्रारंभिक मूल्यांकन के स्थगन के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किया गया था जब तक कि जांच एजेंसी मॉडल नियमों के नियम 10 (5) के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है। बोर्ड ने 13.12.2017 दिनांकित आदेश पारित किया

इन अनुप्रयोगों पर अलग-अलग आदेश। सबसे पहले, इसने बच्चे की पहचान की रक्षा के लिए धारा 74 के तहत आवेदन की अनुमति दी। दूसरा, इसने अन्य दो आवेदनों को खारिज कर दिया। जहां तक दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए आवेदन का संबंध है, बोर्ड ने कहा कि सुनवाई के समय 30 मिनट के लिए उसी तक पहुँच दी जाएगी। कार्यवाही के स्थगन के लिए तीसरा आवेदन सरलता से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद बोर्ड 20.12.2017 पर प्रारंभिक मूल्यांकन का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा।

36. बोर्ड के समक्ष, प्रतिवादी के वकील ने निम्नलिखित तर्क दिए थे:

((i) विधायिका का इरादा कभी भी सभी किशोरों को भेजना नहीं था जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष की आयु से अधिक वयस्कों के रूप में परीक्षण किया जाए।

रन चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

जाँच एजेंसी ने पूरा नहीं किया था

((ख)

जाँच की गई और कोई अंतरिम रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट नहीं दी गई।

बोर्ड के सामने रखा गया।

(iii)

मॉडल नियमों के नियम 10 (5) का कोई अनुपालन नहीं था। बोर्ड धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के साथ आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि यह अक्षम होगा।

मूल्यांकन करने के लिए।

((iv) प्रतियों के रूप में उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

एस. आई. आर. और विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट प्रत्यर्थी या उसके अभिभावक या वकील को प्रदान नहीं की गई थी।

(v)

इसका कोई पिछला इतिहास या आपराधिक इतिहास नहीं था।

उत्तरदाता। प्रतिवादी द्वारा पिछली किसी भी हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं थी।

(vi) यहां तक कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी पूरी नहीं हुई थी और वरिष्ठ द्वारा आगे के मूल्यांकन के लिए सिफारिश की गई थी।

बोर्ड द्वारा संगठन का सहारा नहीं लिया गया था।

(vii) विशेषज्ञ रिपोर्ट निर्णायक नहीं थीं।

(viii) एस. आई. आर. ने दर्शाया कि प्रतिवादी का व्यवहार अच्छा था।

दोस्तों, शिक्षकों और पड़ोसियों के साथ।

(ix) अंत में, यह तर्क दिया गया था कि द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत

सी. बी. आई. ने कहा कि अपराध परीक्षा कराने के लिए किया गया था

स्थगित होना एक संभावित कारण नहीं हो सकता था।

37. बोर्ड ने सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया और अपराध करने के लिए मानसिक क्षमता और शारीरिक शहर, परिणामों को समझने की क्षमता के संबंध में धारा 15 के ई चार पहलुओं पर चर्चा करने के बाद

अपराध और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत कथित रूप से अपराध किया गया था

अस्वीकृत, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रत्यर्थी पर वयस्क मुकदमा चलाया जाना चाहिए और तदनुसार, धारा 18 (3) के तहत एक आदेश पारित किया।

किशोर न्याय बोर्ड के दिनांकित 20.12.2017 आदेश का चींटी भाग

नीचे लिखा हैः

" 13. यह आरोप लगाया जाता है कि दिनांक 08.09.2017 पर, संघर्ष में किशोर

पी. एस. भोंडसी के क्षेत्र में कानून के साथ भोलू ने हत्या को अंजाम दिया

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में मास्टर प्रिंस,

भोंडसी। कथित अधिनियम के आयोग के दिन कानून के साथ संघर्ष में किशोर की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। [2022] 10 एस. सी. आर. का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

यहाँ किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के उद्देश्य से और यह पता लगाने के लिए कि किशोर की शारीरिक और मानसिक क्षमता क्या है,

किशोर द्वारा अपराध के परिणामों और उन परिस्थितियों को समझने की क्षमता जिसमें उसने कथित अपराध किया था, किशोर को बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से 22.11.2017 पर सुना गया है और उसे विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं ताकि वह उन कृत्यों के परिणामों को करने और समझने की अपनी क्षमता का आकलन कर सके जो वर्तमान एफ. आई. आर. के पंजीकरण में परिणत हुए और कानून के साथ संघर्ष में किशोर भोलू ने सभी प्रश्नों का बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया। यह बोर्ड उस समय को अच्छी तरह से याद कर सकता है जब कानून के साथ संघर्ष में किशोर को कानून के साथ संघर्ष में किशोर की व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके सामने पेश किया गया था, उसने उन परिस्थितियों को उचित रूप से समझाया जिसमें उसने उन कृत्यों को किया जिसके परिणामस्वरूप जांच प्रस्तुत की गई थी।

उसके करने के तरीके के साथ और अब प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अपना बयान दर्ज करने के समय जब कानून के साथ संघर्ष में किशोर ने कथित घटना में अपनी भूमिका को छोड़कर एक अलग कहानी सुनाई तो यह अच्छी तरह से इंगित करता है कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर भी खुद को बचाने के लिए एक कहानी बनाना जानता है जो बदले में यह दर्शाता है कि उसके पास पर्याप्त मानसिक क्षमता है।

***

16. कानून के साथ संघर्ष में किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट के सभी निष्कर्षों से पता चलता है कि वह औसत छात्र से कम है।

पढ़ाई करता है लेकिन संगीत में अच्छा है, खासकर पियानो में। वह स्वभाव से आक्रामक है और अन्य छात्रों पर भी चिल्लाता है। वह शराब पीता था और स्कूल परिसर में मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करता था। वह बहुत छोटे स्वभाव का, बेचैन लड़का है और उसमें स्थिरता की भी कमी है। कथित घटना के तुरंत बाद वह परीक्षा में बैठ गया लेकिन परेशान था और परीक्षा में कुछ नहीं लिख रहा था और शिक्षक दीपशिखा द्वारा पूछे जाने पर उसने उसे बताया कि उसने देखा कि एक बच्चा गिर गया था और उसके शरीर से खून आ रहा था और इसी कारण से वह परेशान था। किशोर भी अपने माता-पिता के बीच झगड़े के कारण परेशान रहता है।

17. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कानून के साथ संघर्ष में किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए बोर्ड किसी भी मनोवैज्ञानिक या किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। इस बोर्ड की राय थी कि इस मामले में कानून के साथ संघर्ष में किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले में मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट भी मांगी गई है। डॉ. जोगिंदर कैरो नैदानिक मनोवैज्ञानिक, P.G.I.M.S, रोहतक ने अपने रन चंद्र ठाकुर बनाम.

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

रिपोर्ट ने कानून के साथ संघर्ष में किशोर पर दो परीक्षण किए

उसकी रिपोर्ट तैयार करें। दोनों परीक्षणों के बाद वह अपना निष्कर्ष देते हैं कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर का आई. क्यू. औसत बौद्धिक कार्यप्रणाली की श्रेणी में 95 बताया गया है। आई. क्यू.-95 औसत दिखा रहा है

बुद्धिमत्ता। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि विशेषज्ञ द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि यदि आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता हो तो कानून के साथ संघर्ष में किशोर को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक भेजा जा सकता है। इन बोर्डों को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है

किशोर को आगे के मूल्यांकन के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक भेजा गया क्योंकि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर का आई. क्यू. स्तर औसत है।

18. सभी अभिलेखों पर विचार करने और दोनों पक्षों और किशोर को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, इस बोर्ड की यह सुविचारित राय है कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर भोलू के पास पर्याप्त मानसिक क्षमता थी।

और उसके खिलाफ कथित अपराध करने की शारीरिक क्षमता और उसके पास परिणामों को समझने की पर्याप्त क्षमता भी थी उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में।

फिट और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं। उसका आई. क्यू. स्तर दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने द्वारा किए गए कथित कृत्यों के परिणामों को नहीं जानता था। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, किशोर ने स्वीकार किया कि उसने इस बोर्ड के सामने कबूल किया लेकिन वह सीबीआई के दबाव में था। अपने बयान के दौरान उनसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने इस बोर्ड से अनुरोध किया था कि वह सी. बी. आई. के साथ रहना चाहते हैं लेकिन वह

जवाब दिया कि उन्होंने अनुरोध किया क्योंकि सी. बी. आई. ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। यह संभव नहीं है कि सी. बी. आई. ने उन्हें प्रताड़ित किया हो, उनकी पिटाई की हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने केवल उनके कहने पर सी. बी. आई. के साथ रहने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वर्तमान में उन पर मामला दर्ज है

एक बच्चे की हत्या के संबंध में, वह इस नाम को नहीं जानता था, इस तथ्य के बावजूद कि बच्चा भी उसके साथ संगीत सीखता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस घटना के गवाह थे क्योंकि उन्होंने प्रिंस को पहले घायल हालत में देखा था। के दौरान दर्ज किशोर के बयान से

उसका व्यक्तिगत मूल्यांकन, यह इंगित करता है कि वह परिपक्व है इन सभी तथ्यों ने इस बोर्ड को यह निष्कर्ष निकालने के लिए संतुष्ट किया कि किशोर भोलू में पर्याप्त परिपक्वता और क्षमता [2022] 10 एस. सी. आर. थी।

उस दिन कार्रवाई के परिणामों को समझने के लिए

कथित घटना।

20. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस बोर्ड ने विचार किया

राय है कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर के मुकदमे की आवश्यकता है वयस्क के रूप में भोलू। नतीजतन, की धारा 18 (3) को ध्यान में रखते हुए

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

मामला एल. डी. को हस्तांतरित किया जाता है। विशेष बाल न्यायालय,

गुरुग्राम। केस फाइल एल. डी. के सामने रखी जानी चाहिए। जिला और सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम ने इसे एल. डी. को स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ।

बाल न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। किशोर में

एलडी से पहले। 22.12.2017 पर जिला और सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम। सभी मामलों में पूरी फाइल को एल. डी. की अदालत में भेजा जाए। जिला और

सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम समय पर।

(जोर दिया गया) "

38. अपील में, प्रतिवादी की ओर से, इसी तरह के तर्क थे

डी बाल न्यायालय के समक्ष जो उसी से भी निपटता था

और बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को मंजूरी दी। का प्रासंगिक भाग

Iren 's कोर्ट का दिनांकित 21.05.2018 आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 17 ..... इसलिए विवादित आदेश को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि

मन के किसी भी अनुप्रयोग के बिना और वैधानिक के विपरीत पारित किया गया

द्वारा वर्णित घटना का क्रम जांच एजेंसी सभी अच्छी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतिबिंबित कर रहे हैं

'राजकुमार' की हत्या और उसे समझने की उसकी क्षमता उक्त अपराध के परिणाम और ये सभी सीधे होते हैं

अपीलार्थी के खिलाफ दौड़ना।

18. यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि एक ऑर्डर की आवश्यकता है।
बोर्ड द्वारा पारित किए जाने के लिए आवश्यक एक वयस्क के रूप में बच्चे के परीक्षण के लिए
अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार
जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन करना है
केवल बोर्ड की संतुष्टि के आधार पर इसका प्रयोग करके
विवेकपूर्ण कौशल जिसके लिए विशेषज्ञ राय का आह्वान भी छोड़ दिया जाता है
उसका विवेक। धारा 15 (1) में स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया जाता है।
कि प्रारंभिक मूल्यांकन एक परीक्षण नहीं है। रन चंद्र ठाकुर बनाम दूसरी अपील का कोई अधिकार नहीं।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

इस तरह के आदेश के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है। यह सब इंगित करता है

कानून बनाने का उद्देश्य जघन्य अपराध के आरोप में 16-18 वर्ष की आयु में आने वाले बच्चे के मुकदमे के मंच के संबंध में बोर्ड के विवेक को पहचानना है। यदि कोई स्पष्ट दुरुपयोग नहीं है

उक्त प्राधिकारी की और मामले की गहराई तक जाने वाली किसी भी अनियमितता का बोर्ड द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का सम्मान करने की आवश्यकता है।

19. निष्कर्ष निकालने से पहले, यह न्यायालय धारा 3 (x) के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों के बारे में भी टिप्पणी करना चाहेगा। 99 कानून के विद्वान बचाव पक्ष के वकील ने उक्त प्रावधान के लिए विस्तार से तर्क दिया है। धारा 99 के खंड (I) के अनुसार, बच्चे से संबंधित सभी रिपोर्ट और समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है।

इसे गोपनीय माना जाएगा। इस खंड से जुड़े परंतुक में यह निर्धारित किया गया है कि समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, यदि वह उचित समझता है, तो उसके सार को निम्न को सूचित कर सकता है -

एक अन्य समिति, या बोर्ड या बच्चे को या बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को, और ऐसी समिति या बोर्ड या

बच्चा या माता-पिता या अभिभावक, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर जो रिपोर्ट में बताए गए मामले के लिए प्रासंगिक हो सकता है। धारा 99 का खंड (II) तब निर्धारित करता है कि किसी भी चीज के बावजूद

इस अधिनियम में निहित, पीड़ित को उनके मामले के रिकॉर्ड, आदेश और प्रासंगिक कागजात तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा। विद्वान बचाव पक्ष के वकील ने खंड (II) पर बहुत जोर दिया है और जोर देकर कहा है कि चूंकि पीड़ित को मामले के रिकॉर्ड और प्रासंगिक कागजात तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि धारा 3 (x) अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए समानता के सिद्धांत को मान्यता देती है और अभिधारणा करती है कि लिंग, जाति सहित किसी भी आधार पर एक बच्चे के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा।

और पहुँच, अवसर और उपचार की समानता, इसलिए बच्चे/'जे. सी. एल.' को भी पीड़ित के समान गोपनीय रिपोर्ट तक पहुँच का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने अपीलार्थी को देने से इनकार कर दिया है। यह अदालत धारा 99 के प्रावधानों द्वारा बच्चे/'जे. सी. एल.' के साथ कोई भेदभाव नहीं पाती है। एक बार जब धारा 99 सभी रिपोर्टों को गोपनीय घोषित कर देती है, तो वे दोनों पक्षों के लिए गोपनीय हैं और यहां तक कि पीड़ित को भी इस नाम से ऐसी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा कि पीड़ित को मामले के रिकॉर्ड, आदेश और प्रासंगिक कागजात तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा। पीड़ित को धारा [2022] 10 एस. सी. आर. के खंड (II) के तहत अन्य सभी प्रासंगिक कागजात और केस रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करते हुए गोपनीय रिपोर्ट तक पहुंच की अनुमति बहुत शब्दों में नहीं है।

99 , इसलिए धारा 99 का खंड (I) प्रबल होगा जो सभी तक उक्त पहुंच को प्रतिबंधित करता है। चूंकि वर्तमान मामले में गोपनीय रिपोर्ट की कोई प्रति कभी भी पीड़ित को प्रदान नहीं की गई है, इसलिए यह अपीलार्थी/'जे. सी. एल.' के मुँह में निहित है कि गोपनीय रिपोर्ट तक पहुँच के अधिकार के संबंध में अब तक उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
20. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश से पता चलता है कि किशोर न्याय बोर्ड ने शुद्धता पर विचार किया है,

मामले की वैधता और औचित्य और किसी के साथ कार्य नहीं किया

अपीलार्थी से संबंधित तथ्य के निष्कर्ष देने के समय अनियमितता। विवादित क्रम में कोई अवैधता, विकृति या दुर्बलता नहीं है। अपील में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जा सकता है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है। अभियोग के पहलू पर पक्षों को सुनने के लिए 04.07.2018 के लिए तय की गई "राज्य बनाम भोलू" शीर्षक वाली मुकदमे की मुख्य मामले की फाइल के साथ कागजात को टैग किया जाना चाहिए।

39. बाल न्यायालय के दिनांक 21.05.2018 के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई थी। द हाई

अदालत ने आपराधिक संशोधन की अनुमति दी और दोनों को दरकिनार कर दिया

यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक अभ्यास छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए और इसके अलावा प्रारंभिक मूल्यांकन करते समयसरकारी अस्पताल के मनोवैज्ञानिक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

40. उच्च न्यायालय के समक्ष जिस बात का महत्व था वह यह थीः

प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

((i)

खेल क्योंकि पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था;

बोर्ड द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां नहीं थीं

((ख)

प्रतिवादी को प्रदान किया गया;

(iii)

विशेषज्ञों की रिपोर्ट अधूरी थी।

) 9 ((iv)

(विशेषज्ञ द्वारा बच्चे को संदर्भित करने की सिफारिश

मूल्यांकन के लिए उच्च संगठन पर बोर्ड द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी; विशेषज्ञों द्वारा किए गए दो परीक्षण स्पष्ट रूप से थे

(v)

अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए प्रासंगिक और संबंधित नहीं; रन चंद्र ठाकुर बनाम।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

(vi) कि बोर्ड और बाल न्यायालय के पास कोई सामग्री नहीं थी

उनसे पहले यह आकलन करने के लिए कि प्रत्यर्थी कैसे जानता था

अपराध के परिणाम और परिस्थितियों में भी

जिसे उसने कथित रूप से अपराध किया था; और

(vii) बोर्ड और बाल न्यायालय के निष्कर्ष थे

बिना किसी सामग्री और तर्क के।

41. उच्च न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं -

:

किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक या अन्य विशेषज्ञों की सहायता प्रारंभिक मूल्यांकन करें। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है

पैरा

बोर्ड द्वारा पारित 20.12.2017 दिनांकित आदेश का No.17

मामले में, किसी भी विशेषज्ञ की राय/सहायता की आवश्यकता होती है, वही लिया जाता है। मानसिक क्षमता का आकलन करना आवश्यक है

किशोर। बोर्ड के लिए मानसिक मूल्यांकन करना अनिवार्य था।

कथित अपराधी की ऐसा अपराध करने की क्षमता और

उसी के परिणामों को समझने की क्षमता भी। यह है।

सुझाव दिया कि यदि किसी और मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो किशोर रोहतक में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जा सकता है। हालांकि,

बोर्ड और मूल्यांकन द्वारा इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है

भारत के बच्चों के लिए मैट्रिक (सीपीएम) और मालिन का खुफिया पैमाना (एम. आई. एस. आई. सी.) 5-11% और 5-15 की आयु के बीच के बच्चों के लिए है।

मानसिक निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया गया है साढ़े 16 साल के बच्चे की क्षमता। बोर्ड के साथ-साथ

अपीलीय प्राधिकरण ने इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की है। द.

याचिकाकर्ता इस संबंध में मनोवैज्ञानिक से जिरह करना चाहता था

लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और कोई अनुमति नहीं दी गई
उसे। सामाजिक जाँच रिपोर्ट भी विरोधाभासी है।
और उसी पर विचार करने लायक नहीं है। परीक्षणों की प्रतियाँ, में
प्रश्न, याचिकाकर्ता/माता-पिता/अभिभावक को प्रदान नहीं किया गया था लेकिन
तर्कों की सुनवाई से ठीक पहले दिखाया गया था। ऐसा नहीं था।
रिपोर्ट के 35 पृष्ठों को किसी भी व्यक्ति द्वारा समझना व्यावहारिक रूप से संभव है।
30 मिनट से कम की अवधि में आम आदमी। हालांकि, एक में
30 मिनट की समय अवधि, याचिकाकर्ता को एक नज़र डालने के लिए मिला
डॉ. जोगिंदर सिंह कैरो, क्लिनिक मनोवैज्ञानिक का रिकॉर्ड। वह आ गया।
उन्होंने कहा कि उन्होंने दो परीक्षणों [2022] 10 एस. सी. आर. के आधार पर मूल्यांकन किया था।

अर्थात (i) रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक (CPM) और (ii) भारतीय बच्चों के लिए मालिन का बुद्धिमत्ता पैमाना (MISIC)। याचिकाकर्ता (उनके पिता द्वारा प्रतिनिधित्व) और उनके वकील को इन परीक्षणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद, उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की और पता चला कि वे परीक्षण याचिकाकर्ता के मामले के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक थे और याचिकाकर्ता का मानसिक मूल्यांकन करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। राधे शाम और अज़ीज़ुद्दीन खान द्वारा लिखित नैदानिक बाल मनोविज्ञान पर मूल पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों के लिए मालिन की बुद्धिमत्ता की परीक्षा 5 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है। चूंकि याचिकाकर्ता की आयु 16.75 वर्ष थी, जब उन पर ये परीक्षण किए गए थे, जो सही परीक्षण नहीं थे और जिनके परिणामस्वरूप गलत परिणाम आए हैं। उक्त विशेषज्ञ ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह उचित होगा कि आगे का मूल्यांकन किसी उच्च अधिकारी द्वारा किया जाए। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को तथाकथित विशेषज्ञों की साख पर संदेह हुआ। केवल इसी कारण से, याचिकाकर्ता ने न केवल रिपोर्टों की प्रतियां माँगी, बल्कि उनकी प्रतिपरीक्षा भी करना चाहा ताकि विशेषज्ञों और उनकी रिपोर्टों की सत्यता और साख की जांच की जा सके। हालाँकि, उस प्रभाव के लिए किए गए विशिष्ट अनुरोध और कथनों के बावजूद उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिससे न्याय का उपहास हुआ। याचिकाकर्ता का आई. क्यू. परीक्षण तब किया गया था जब वह 16 वर्ष और 9 महीने से अधिक उम्र का था। किसी भी बच्चे की मानसिक आयु निर्धारित करने के सूत्र के अनुसार, 16.75 आयु में 95 का IQ आवश्यक रूप से 15.67 वर्ष में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि मानसिक आयु/जैविक आयु x 100 है। इसका मतलब है कि तथाकथित विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता-बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। यहां तक कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से 16 वर्ष से कम माना जाना था। जैसा कि विचाराधीन परीक्षण, किसी भी मामले में, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हैं, इन परीक्षणों द्वारा निर्धारित 95 का आई. क्यू. स्पष्ट रूप से किसी भी मामले में 15 वर्ष से बहुत कम की मानसिक आयु में बदल जाएगा।

XXXX

अपीलीय न्यायालय ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता/अभिभावक/माता-पिता को गवाहों या दस्तावेजों आदि का कोई बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इसके बिल्कुल विपरीत है।

अधिनियम की धारा 8 (3) के साथ पठित धारा 3 (iii) और (xvi) के साथ पठित नियम 10 (5) के प्रावधान। वास्तव में, अधिनियम के सभी प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों को भी पढ़ना होगा

सामंजस्यपूर्ण रूप से, अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।

रन चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-सी. बी. आई. ने यह कहते हुए अदालत को समझाने की कोशिश की है कि गोपनीयता के तथ्य पर विचार करके रिपोर्ट/दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता की याचिका-सी. बी. आई. वास्तव में बच्चे की गोपनीयता पर विचार करके तीसरे पक्ष से बच्चे की सुरक्षा के लिए है। यह नहीं हो सकता।

व्याख्या की गई कि एक अपराधी बच्चे को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, जबकि अधिनियम की धारा 8 (3) की आवश्यकता है कि बच्चे और माता-पिता या अभिभावक की भागीदारी प्रक्रिया के हर चरण में होनी चाहिए। धारा 3 में विशेष रूप से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक व्याख्या दी जानी चाहिए कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे बच्चा सहज महसूस करे। द. केवल बच्चे के हितों की रक्षा के लिए तीसरे पक्ष के संबंध में गोपनीयता की आवश्यकता है। बच्चे से संबंधित और समिति या बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली सभी रिपोर्टों को प्रावधान के अधीन गोपनीय माना जाना आवश्यक है।

अधिनियम के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसका तार्किक निष्कर्ष। इन सभी आधारों का उल्लेख अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किया गया था लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क-सी. बी. आई. कि इस न्यायालय के पास पुनरीक्षण याचिका को लागू करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है, कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि अधिनियम की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार, मामले में कोई अवैधता और विकृति है।

या अनिवार्य प्रावधानों का गैर-अनुपालन है, इस न्यायालय के पास पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति है। जगन्नाथ चौधरी बनाम रामायण सिंह 2002 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 813 और राजिंदर सिंह बनाम विशाल डिंगरा 2015 (8) आर. सी. आर. (आपराधिक) 453 मामलों में निर्धारित कानून द्वारा इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है।

ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी गई है और दिनांक 20.12.2017 का आदेश दिया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा पारित और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम [2022] 10 एस. सी. आर. द्वारा पारित दिनांक 21.05.2018 आदेश।

अलग रखे जाते हैं। मामले को समझदारी, परिपक्वता, भौतिक का आकलन करने के बाद नए सिरे से विचार के लिए बोर्ड को वापस भेज दिया जाता है।

इस बात की योग्यता कि कानून के साथ संघर्ष में किशोर अपराध के परिणामों को जानने की स्थिति में कैसे था। आवश्यक व्यायाम

प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए आदेश की प्रमाणित प्रति। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि

सरकारी अस्पताल के मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया जाए। स्वयं शिकायत करने पर तर्क

ELLANT:

42. श्री सुशील टेकरीवाल की दलीलें, विद्वान वकील

शिकायतकर्ता-अपीलार्थी का सारांश नीचे दिया गया है:

' बच्चे का सर्वोत्तम हित 'या' निर्दोषता का अनुमान 'आदि।

((i)

इसका मतलब आपराधिक आरोपों से प्रतिरक्षा नहीं है। अधिनियम का उद्देश्य कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को सुधारना और

उन्हें दंडात्मक परिणामों के अधीन करें।

(11) जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने वाले 16-18 आयु वर्ग के बच्चों को विधायिका द्वारा एक अलग वर्ग सौंपा गया है, इसलिए, उन्हें सुरक्षात्मक सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य जघन्य अपराधों के अभियुक्तों को आश्रय देना नहीं है।

प्रतिवादी निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है।

(iii)

अधिनियम, 2015 की धारा 15 और बोर्ड ने उचित निर्णय दिया था

कि उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

((iv) कानून स्पष्ट है कि बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की मदद ले सकता है। 'मे' शब्द को केवल 'मे' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और विचाराधीन अधिनियम बनाने के लिए विधायी क्षमता में नहीं है

विवाद। यहां तक कि अधिनियम, 2015 की धारा 101 (2) में भी चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के संबंध में 'मई' शब्द का उपयोग किया गया है। मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को इस पर छोड़ दिया जाना चाहिए था

(v)

अदालतों के रूप में चिकित्सा विशेषज्ञों को ऐसे मामलों में कोई विशेषज्ञता नहीं है। मेडिकल बोर्ड की राय अंतिम है और नहीं हो सकती

अदालत के समक्ष पूछताछ की।

(vi) सभी को सामाजिक और चिकित्सा रिपोर्ट प्रदान की गई थी।

हितधारक। हालांकि, प्रतिपरीक्षा के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि धारा 15 केवल एक चंद्र ठाकुर बनाम है।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

प्रारंभिक मूल्यांकन और परीक्षण नहीं। इसके अलावा, अधिनियम, 2015 की धारा 99 के अनुसार बोर्ड द्वारा विचार किए गए बच्चे से संबंधित सभी रिपोर्टों को गोपनीय माना जाना चाहिए।

धारा 102 के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता

उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री टेकरीवाल ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः (क) किशन पासवान बनाम। यू. ओ. आई. (सिविल विविध। 2020 का डब्ल्यू. पी. सं. 5044) {पैरा 28 (97) और 35 (वी)},

मुकर्रब बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 2 एससीसी 210 (पैरा

(ख)

27) ,

((ग)

रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) और अन्य। वी. एस. बालचंद्रन नायर (2005) 13 एससीसी 128,

(घ) अमित कपूर बनाम। रमेश चंदर और अन्र (2012)

9 एस. सी. सी. 469 (पैरा 12 और 13),

राजेन्द्र राजोरिया बनाम। जगत नारायण थापक और

(ई)

अन्र (2018) 17 एस. सी. सी. 234,

जबर सिंह बनाम। दिनेश (2010) 3 एससीसी 757,

( ) (जी)

चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम। आशालता एस.

गुरम (1986) 4 एससीसी 447,

मदनलाल फकीरचंद दुधेया बनाम। एस. चांगदेव

(ज)

शुगर मिल्स, 1962 ए. आई. आर. 1543,

((i)

चिन्नामार कथियम बनाम। अय्यवू, ए. आई. आर. 1982 एस. सी.

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1)

बिहार (2008) 15 एस. सी. सी. 223 और केंट बनाम. संयुक्त राज्य (383, यू. एस., 541,1966)।

(के)

सी. बी. आई. के स्वयं के बारे में तर्क-अपीलः

43. श्री विक्रमजीत बनर्जी की दलीलें, अतिरिक्त

आई. टी. आर. या सी. बी. आई. की ओर से महाधिवक्ता-अपीलार्थी का सारांश नीचे दिया गया हैः

((i)

सी. बी. आई. के वकील ने बयान की ओर ध्यान आकर्षित किया

अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और कारण, जिसमें अधिनियम, 2000 के तहत प्रणालियों को 1 वर्ष के पुराने अपराधियों से निपटने के लिए अक्षम माना जाता है, और उक्त आयु के जघन्य बाल अपराधियों में तेजी से वृद्धि के बारे में एक अवलोकन भी स्पष्ट किया गया है।

((ख)

वकील ने धारा के तहत प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला

15 उक्त अधिनियम जो प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान करता है

बोर्ड द्वारा 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों पर, जो अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

कर्मचारी, या अन्य विशेषज्ञ।

(111) यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह प्रारंभिक मूल्यांकन है

एक मुकदमे से अलग।

(iv) वकील ने अधिनियम, 2015 की धारा 103 का भी उल्लेख किया, जो बोर्ड की पूछताछ के दौरान Cr.P.C द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का यथासंभव पालन करने की आवश्यकता को निर्धारित करता है।

समन मामलों की सुनवाई के लिए।

(v)

वकील ने मॉडल के नियम 10 और 10 ए पर जोर दिया

नियम। नियम 10 ए बोर्ड को प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहायता लेने की अनुमति देता है।

बोर्ड।

(vi) नियम 10 (5) जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अपने द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान पेश करने का आदेश देता है।

और इस दौरान प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज बच्चे के जन्म की तारीख से एक महीने के भीतर जांच

बोर्ड के समक्ष पहला उत्पादन। बच्चे या उसके माता-पिता/अभिभावक को दी जाने वाली प्रतियां भी लाई गईं।

आगे और हाइलाइट किया।

यू. एन. चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]vii) अंतिम निर्णय के लिए अधिनियम, 2015 के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रारंभिक जाँच से पहले जाँच पूरी की जाए मूल्यांकन होता है। इसके अलावा, अधिनियम, 2015

अधिकतम सीमा तक Cr.P.C के पालन की आवश्यकता होती है, इसलिए, उसी के अनुरूप, आरोपी को जांच के दौरान केस डायरी प्रदान नहीं की जा सकती है। अधिनियम, 2015 की धारा 99 का भी संदर्भ दिया गया है। गोपनीयता। इसलिए, वकील का तर्क है कि मॉडल नियमों के नियम 10 (5) को पढ़ा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने

अन्यथा धारण करने में त्रुटि हुई।

viii) प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए, बोर्ड को अपराध करने के लिए बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर विचार करना चाहिए, और यह मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष बच्चे के पहले प्रदर्शन के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

जिसके बाद, पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।

ix) उच्च न्यायालय के फैसले पर भी इस बात पर जोर देकर हमला किया गया कि प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता

मनोवैज्ञानिक, और उत्तरदाता या उसके अभिभावकों को विशेषज्ञ की रिपोर्ट की आपूर्ति

प्रारंभिक मूल्यांकन गलत था।

एक महीने के भीतर जांच पूरी करने की आवश्यकता

x)

बोर्ड के समक्ष बच्चे को पेश करने की पहली तारीख से और प्रारंभिक मूल्यांकन करने से पहले बच्चे या उसके माता-पिता को अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करना। संदेह में भी बुलाया गया था।

xi) सी. बी. आई. ने यह कहते हुए अपने उचित आचरण को साबित करने का प्रयास किया कि भोलू के साथ बच्चों के अनुकूल व्यवहार किया गया था और अधिनियम, 2015 के अनुरूप जांच की गई थी और उसे गिरफ्तार किया गया था।

अपने पिता और अन्य आवश्यक अधिकारियों की उपस्थिति में।

xii) सी. बी. आई. का दावा है कि प्रोबेशन की उपस्थिति में भोलू का सावधानीपूर्वक और मैत्रीपूर्ण तरीके से साक्षात्कार लिया गया था और

स्वतंत्र गवाहों के साथ बाल कल्याण अधिकारी। इसके अलावा, उन्होंने स्वेच्छा से राजकुमार की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, और उन्हें तालाबंदी में रखने के बजाय, उनकी आशंका के बाद, एक अवलोकन गृह में भेज दिया गया।

xiii) चूंकि सी. बी. आई. संतोषजनक रूप से अपनी जांच पूरी करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए बोर्ड ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत [2022] 10 एस. सी. आर. दी।

भोलु में, जिसमें उन्हें बोर्ड के एक सदस्य के साथ सेवा कुटीर (अवलोकन गृह) में रखा जाना था, उसकी अभिरक्षा पोस्ट करें।

(xiv) उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री विक्रमजीत बनर्जी

निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

बलकाराम बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य। (2017)

(अ)

7 एससीसी 668,

शिल्पा मित्तल बनाम। एन. सी. टी. राज्य और एक अन्य, सी. आर. एल.

(ख)

2020 की अपील सं. 34,

जी. सुंदरराजन बनाम भारत संघ और अन्य। (2013)

((ग)

6 एससीसी 620।

स्वयं के उत्तरदायित्व पर तर्क

एल. यू.:

44. श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ की दलीलें

प्रत्यर्थी की ओर से पत्र का सारांश नीचे दिया गया हैः

अधिनियम, 2015 में आवश्यक संशोधन अपवाद है।

((i)

16 से 18 वर्ष की आयु के लिए बनाया गया। नृशंसता के मामलों में अधिनियम, 2015 की धारा 2 (33) के तहत परिभाषित अपराधों को धारा 14 और 15 के संदर्भ में की जाने वाली जांच के अधीन एक बच्चे को वयस्क माना जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की योजना की व्याख्या करते समय बच्चों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उनके साथ वयस्कों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए

नियम के लिए एक अपवाद है। अधिनियम के तहत जांच करते हुए, बोर्ड ने

((ख)

अधिनियम की समग्र योजना को ध्यान में रखना।

(iii)

अधिनियम, 2015 में प्रावधान है कि जांच अधिकारी को

एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी होना चाहिए, जो बच्चों से निपटने में सक्षम हो और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी. डब्ल्यू. पी. ओ.) के रूप में नामित हो। हालाँकि, इस मामले में आई. ओ. अधिनियम के तहत नामित सी. डब्ल्यू. पी. ओ. नहीं था। धारा 107 में आगे एक विशेष किशोर पुलिस इकाई के निर्माण की आवश्यकता है जो "विशेष रूप से बच्चों से निपटने" और "योग्यता, उचित प्रशिक्षण और प्रशिक्षण" के साथ हो।

अभिविन्यास "।

((iv) बच्चे को पुलिस लॉक-अप में रखा गया था और बाद में

स्वीकारोक्ति उनसे निकाली गई थी जो चंद्र ठाकुर बनाम पर निर्भर थी।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

बोर्ड द्वारा। यही नियम 8 (3) (v) और इसके तहत निहित निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत के विपरीत है। अधिनियम, 2015 की धारा 3 (i) को मॉडल नियमों के नियम 10 ए (3) के साथ पढ़ा जाता है।

सुनवाई से पहले बच्चे को दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण, धारा 8 (3) (ए) और 8 (3) (बी), धारा 14 (5) (सी) के साथ-साथ अधिनियम, 2015 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया।

इसके अतिरिक्त, केवल 30 मिनट का समय देना रिकॉर्ड को पढ़ने और स्कैन करने के लिए अपर्याप्त था।

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की तारीख पर, प्रतिवादी की आयु 16 वर्ष और 7 महीने थी। हालाँकि, उन्हें दिए गए परीक्षण 11 वर्ष (सीपीएम) और 15 वर्ष (मालिन) तक के बच्चों के लिए उपयुक्त थे। मनोवैज्ञानिक डॉ. कैरो के अनुसार, उत्तरदाता को सहयोगी और संवादात्मक पाया गया। प्रशासित परीक्षणों के आधार पर उनका आई. क्यू. 95 दर्ज किया गया था, और यह आगे नोट किया गया था कि "यदि आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक भेजा जा सकता है।"

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में माननीय महिला और बाल विकास मंत्री के बयान पर भरोसा व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड का मूल्यांकन एकतरफा नहीं है और बोर्ड बच्चे के विचारों पर उचित ध्यान देगा। मॉडल नियमों के नियम 10 (5) को पढ़ने के लिए सी. बी. आई. की याचिका के संबंध में, वकील ने प्रस्तुत किया कि लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने से पहले उक्त नियम को उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था।

किसी प्रावधान को असंवैधानिक या अवैध घोषित होने से बचाने के लिए पढ़ा जा सकता है, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। संवैधानिकता के प्रति कोई चुनौती नहीं होने के कारण, इस दिशा में कोई भी प्रयास उद्देश्यों के विपरीत होगा।

अधिनियम से।

(x)

"चतुर" जैसे शब्दों का उपयोग करके और कथित को पढ़कर

उनके खिलाफ स्वीकारोक्ति अनुच्छेद 20 (3) का पूर्ण उल्लंघन होने के कारण, बोर्ड स्पष्ट रूप से अधिनियम, 2015 की धारा 3 (i) के तहत प्रदान किए गए निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत के विपरीत गया है, जिसे नियम 10 ए (3) मॉडल नियमों और धारा 3 (viii) के साथ पढ़ा जाता है, जो यह अनिवार्य करता है कि किसी बच्चे को शामिल करने में कोई प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(xi) बोर्ड प्रत्यर्थी के इस बयान को ध्यान में रखने में विफल रहा कि सी. बी. आई. ने उसे अंदर बुलाया, उसे पीटा और उसे बोलने के लिए कहा और गलती से निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी के पास ऐसा करने की पर्याप्त मानसिक और शारीरिक क्षमता थी।

अपराध।

(xii) दिनांक 20.12.2017 के आदेश में, बोर्ड ने प्रत्यर्थी के खिलाफ स्वीकारोक्ति पढ़ी, लेकिन बाद में बोर्ड ने कहा कि इस स्तर पर यह नहीं देखा जाना चाहिए कि "कानून के साथ संघर्ष में किशोर दोषी है या नहीं, उसने स्वीकार किया या नहीं, अगर स्वीकार किया जाता है तो यह स्वैच्छिक था या दबाव में था।"

(xiii) जिन परिस्थितियों में बच्चे ने कथित रूप से अपराध किया था, उन्हें बोर्ड के समक्ष नहीं रखा गया था और न ही उसे अपनी राय बनाने में सक्षम बनाने के लिए आरोप पत्र रखा गया था। (xiv) धारा 15 और धारा में आने वाला शब्द "हो सकता है"

101 (2) इसका अर्थ "होगा" के रूप में लगाया जाना चाहिए।

(xv) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो एस. आई. आर. और न ही डॉ. जोगिंदर कैरो की रिपोर्ट बच्चे की मानसिक आयु का संकेत देती है। डॉ. कैरो ने आगे के मूल्यांकन की सलाह दी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बोर्ड निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा।

बच्चे की उम्र।

(xvi) अधिनियम की धारा 102 वैधता और औचित्य के आधार पर पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति देती है। उच्च न्यायालय ने बोर्ड और सत्र न्यायालय के तर्क में विकृति को सही ढंग से नोट किया, जिसके परिणामस्वरूप यह सही है।

उपरोक्त आदेशों को अलग रखें।

चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

उत्तरदाता अभी भी अवलोकन गृह में बने हुए हैं

और हिरासत में साढ़े चार साल पूरे कर लिए हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की और उन पर विभिन्न जघन्य अपराधों का आरोप लगाया गया। इस स्तर पर उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता और समझ का आकलन करना संभव नहीं होगा। यह न्याय के हित में होगा कि उसे एक बच्चे के रूप में माना जाए न कि एक वयस्क के रूप में, क्योंकि उसने अधिनियम, 2015 की धारा 14 और 15 के तहत अपना मूल्यवान अधिकार खो दिया है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री लूथरा ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः - (क) शिल्पा मित्तल बनाम। एन. सी. टी. राज्य और एक अन्य, सी. आर. एल. 2020 की अपील सं. 34 (पैरा 1,30,31 और 34), (ख) बच्चन देवी और अन्र। वी. नगर निगम,

गोरखपुर, (2008) 12 एस. सी. सी. 372)

अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य

((ग)

(2013) 6 एस. सी. सी. 770 (पैरा 52 और 53),

((घ)

स्टेट ऑफ बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम। मोहम्मद

मोहम्मद खान (1981) 4 एस. सी. सी. 82 (पैरा 19 से 23)

सोम प्रकाश रेखी बनाम। भारत संघ (1981) 1

(ई)

एस. सी. सी. 449 (पैरा 63) प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य (2005) 3 एस. सी. सी.

(1)

551 (पैरा 7 और 10),

(छ) सलिल बाली बनाम। भारत संघ और एक अन्य, (2013)

7 एस. सी. सी. 705 (पैरा 43 और 63),

बम्बई प्रांत बनाम। कुसलदास एस. आडवाणी, 1950

(ज)

एससीआर 621 (पैरा 16)

((i)

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। ए. पी. वक्फ बोर्ड, 2022

एससीसी ऑनलाइन एससी159 (पैरा 143),

कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक

(1)

पश्चिम बंगाल बनाम सत्येन भौमिक, (1981) 2 एससीसी

109 (पैरा 20 से 22),

नित्य धर्मानंद बनाम। गोपाल शीलम रेड्डी,

(के)

(2018) 2 एस. सी. सी. 93 (पैरा 5 से 9), [2022] 10 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पुनः में - आपराधिक मुकदमों से संबंधित दिशानिर्देश

(1)

अपर्याप्तताएँ और कमियाँ v. आंध्र राज्य प्रदेश और ओआरएस। (2021) 10 एससीसी 598 (पैरा 11),

(एम) भारत संघ बनाम। आई. एन. डी.-स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड

(2011) 4 एससीसी 635,

(एन)

नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट 1936 आई. एल. आर. 372 (पृ.

378 383 तक)

राजा वी। सॉ मिन, 1938 एस. सी. सी. ऑनलाइन रंग 68

(0)

(pg. 1, 10)

महाबीर सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2001) 7 एससीसी

(पी)

148 (pg. 19,21,22)

ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक (2021) 6 एससीसी

(9)

707 (पैरा 14)

आलोक नाथ दत्ता और अन्य। वी. बंगाल राज्य, (2007)

(आर)

12 एस. सी. सी. 230 (पैरा 104)

शरत बाबू दिगुमार्ती बनाम। एन. सी. टी. दिल्ली, (2017)

(एस)

2 एससीसी 18 (पैरा 37), फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम श्रम न्यायालय (1985) 3 एससीसी

(टी)

103 (पैरा 15 से 17)

दिल्ली नगर निगम बनाम। गिरधारीलाल

(यू)

सप्रू, (1981) 2 एस. सी. सी. 758 (पैरा 5) रामगोपाल गणपतराय रुइया बनाम बम्बई राज्य,

(v)

1958 एस. सी. आर. 618 (पैरा 15)

(डब्ल्यू) सम्राट वी। एन. जी. चटर्जी, आई. एल. आर. 1946 ऑल 553

(पैरा 5 से 8,10,14), कृष्णन बनाम। कृष्णवेणी (1997) 4 एससीसी 241 (पैरा

(x)

8)

राजेश्वर सिंह बनाम। सुब्रत रॉय सहारा (2013)

(y)

14 एस. सी. सी. 257 (पैरा 26);

(जेड.) अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 सप्लीमेंट

(1) एस. सी. सी. 145 (पारस 58-60);

(एए) यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन। वी. भारत संघ (1991) 4

एस. सी. सी. 584 (पैरा 83) और; बरुण चंद्र ठाकुर बनाम।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

(bb) राहत को ढालने पर-एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) v. महांत सुरेश दास और अन्य। (2020) 1 एससीसी

1 (पैरा 1024,1026)

विश्लेषणः

प्रारंभिक आदेश का प्रभाव

मूल्यांकन

45. प्रारंभिक मूल्यांकन का क्रम यह तय करता है कि बच्चा

कानून के साथ टकराव में, 16-18 वर्ष की आयु वर्ग में आने और जघन्य अपराध करने पर, बाल न्यायालय द्वारा या स्वयं बोर्ड द्वारा वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है, उसे एक बच्चा मानते हुए। अधिनियम, 2015 में दो प्रमुख परिणाम दिए गए हैं, यदि बच्चे पर मुकदमा चलाया जाता है।

बाल न्यायालय द्वारा वयस्क। पहला, कि सजा या सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है यदि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाता है बाल न्यायालय, जबकि यदि बच्चे पर बोर्ड द्वारा एक बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाता है, तो अधिकतम सजा जो दी जा सकती है वह 3 साल है। दूसरा प्रमुख परिणाम यह है कि जहां बोर्ड द्वारा बच्चे पर एक बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाता है, तो

धारा 24 (1) के तहत, वह किसी अपराध की सजा के साथ जुड़ी किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करेगा, जबकि अयोग्यता का उक्त निष्कासन उस बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिस पर धारा 24 (1) के परंतुक के अनुसार बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाता है। एक अन्य परिणाम, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, वह यह है कि धारा 24 (2) के अनुसार, जहां बोर्ड या बाल न्यायालय, मामला समाप्त होने के बाद,

पुलिस या रजिस्ट्री कि इस तरह की सजा के प्रासंगिक रिकॉर्ड अपील की समाप्ति की अवधि या एक उचित अवधि के बाद नष्ट किए जा सकते हैं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। जबकि, जब किसी बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाता है, तो संबंधित रिकॉर्ड को संबंधित न्यायालय द्वारा रखा जाएगा। धारा 24 (2)।

46. ये परिणाम गंभीर प्रकृति के होते हैं और स्थायी होते हैं।

गंभीर नागरिक परिणाम हैं, उचित अवसर दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि किसी मामले में उचित अवसर क्या होगा? जहाँ बोर्ड द्वारा धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना है।

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस. आई. आर.)

47. एस. आई. आर. तैयार करना प्रत्येक बच्चे के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है।

कानून के साथ टकराव में, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या [2022] 10 एस. सी. आर. द्वारा तैयार किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोर्ड द्वारा निर्देशित कोई अन्य एजेंसी। इसका प्रारूप भी है

मॉडल नियमों के फॉर्म 6 में प्रदान किया गया है। एस. आई. आर. प्राप्त करने का उद्देश्य

तैयार बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए है। इसमें 48 कॉलम भरे जाने हैं और उसके बाद परिवीक्षा अधिकारी को अपनी राय भी प्रस्तुत करनी है। वर्तमान मामले में, एस. आई. आर. कानूनी परिवीक्षा अधिकारी द्वारा 27.11.2017 पर प्रस्तुत किया गया था। एस. आई. आर. एक प्रासंगिक सामग्री है जिस पर बोर्ड द्वारा जमानत के संबंध में कोई आदेश पारित करते समय या जांच के बाद निर्णय लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक मूल्यांकन।

मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट

48. मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट दिनांकित 05.12.2017 केवल वर्तनी है

बच्चे का आई. क्यू. 95 होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो आगे का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। उपरोक्त रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

" XXX

XXX

XXX

उनकी मानसिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन था निष्पादित किया।

प्रभावः आई. क्यू.-95, औसत बुद्धि।

XXX

XXX

XXX

यदि आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता है, तो उसे भेजा जा सकता है मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

रोहतक।

XXX "

XXX

XXX

49. उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह केवल

बच्चे की मानसिक क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से। रिपोर्ट में कथित अपराध करने के परिणामों के बारे में बच्चे के ज्ञान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, न ही इसमें अपराध के बारे में कुछ भी उल्लेख किया गया था। कथित अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ। ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, जाहिरा तौर पर बोर्ड को केवल बच्चे की मानसिक क्षमता पर राय की आवश्यकता थी।

प्राकृतिक न्याय/महत्वपूर्ण अवसर

50. बोर्ड और बाल न्यायालय ने धारा पर भरोसा किया है

99 अधिनियम, 2015 का यह अभिनिर्धारित करना कि उन्हें बरुण चंद्र ठाकुर बनाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

एस. आई. आर. के रूप में उपलब्ध अभिलेख पर सामग्री की प्रतियां, रिपोर्ट

मनोवैज्ञानिक, और अन्य सामग्री। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने आदर्श नियमों के नियम 10 (5) पर भरोसा करते हुए कहा कि दस्तावेज बच्चे या उसके अभिभावक या उसके वकील को प्रदान किए जाने चाहिए थे, और ऐसा नहीं किया गया था, यह एक ऐसा मामला था जिसमें उचित अवसर से इनकार किया गया था।

समिति या बोर्ड इसके सार को किसी अन्य समिति या बोर्ड या बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक को सूचित करेगा और ऐसी समिति या बोर्ड या बच्चे या माता-पिता या अभिभावक को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है जो बताए गए मामले के लिए प्रासंगिक हो सकता है। रिपोर्ट में। धारा 99 (2) में कहा गया है कि पीड़ित को मामले के रिकॉर्ड, प्रासंगिक दस्तावेजों और कागजातों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।

52. गोपनीयता बनाए रखने का एक अलग उद्देश्य है लेकिन किसी भी मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए, संबंधित सामग्री बच्चे या उसके अभिभावक या माता-पिता को प्रदान नहीं की जाएगी। यह अपराध के तय किए गए सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन होगा।

न्यायशास्त्र। धारा 99 में उपयोग की गई गोपनीयता की अवधारणा रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में आने या सार्वजनिक रूप से साझा करने से रोकने के लिए है। इसकी उपलब्धता कार्यवाही के पक्षों तक ही सीमित रहेगी और पक्षों को इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा करने से भी बचना चाहिए। धारा 99 (2) अबाधित खंड से शुरू होती है और यह निर्देश देने के लिए आगे बढ़ती है कि पीड़ित को मामले की रिपोर्ट, आदेश और प्रासंगिक कागजात तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

एक बार जब विधायिका का इरादा पीड़ित को सामग्री प्रदान करना होता है, तो गोपनीयता के नाम पर बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावकों को रिकॉर्ड तक ऐसी पहुंच से इनकार करने का कोई इरादा नहीं हो सकता है। बोर्ड और बाल न्यायालय ने प्रदान नहीं करने में अवैधता की अधिनियम, 2015 की धारा 99 की गलत व्याख्या करके मांगे गए दस्तावेज।

53. वर्तमान मामले में, एस. आई. आर. और विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रत्यर्थी या उसके माता-पिता को प्रदान नहीं की गई थी या संरक्षक। ऐसी सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 13.12.2017 के एक विस्तृत आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बोर्ड ने केवल वकील और माता-पिता या अभिभावक को सुनवाई शुरू होने से पहले 30 मिनट के लिए इन रिपोर्टों को देखने की स्वतंत्रता दी।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54. प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सबसे पहले,

इन दस्तावेजों को उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए था; और दूसरा, विशाल एस. आई. आर. (35 पृष्ठों में चलने वाले) की सामग्री को देखने के लिए आधा घंटा बहुत कम समय था जिसमें कई बयान थे; और तीसरा, उन्हें प्रतिपरीक्षा या दस्तावेज जमा करने के माध्यम से खंडन में साक्ष्य देने का कोई अवसर नहीं था।

55. प्रत्यर्थी की ओर से संबोधित प्राकृतिक न्याय/अवसर के सिद्धांतों का एक और उल्लंघन की रिपोर्ट पर था

मनोवैज्ञानिक, जिसने केवल बच्चे का आई. क्यू. स्तर प्रदान किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रतिवादी की ओर से मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट के खंडन में साक्ष्य देने और मनोवैज्ञानिक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लागू किए गए परीक्षणों के रूप में मनोवैज्ञानिक की प्रतिपरीक्षा करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था।

16. 5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्रासंगिक परीक्षण नहीं थे। आवेदन किए गए परीक्षण 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए लागू थे। प्रत्यर्थी की ओर से किए गए इस अनुरोध को बोर्ड द्वारा दिनांक 13.12.2017 के एक विस्तृत आदेश द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था। 56. प्रत्यर्थी की ओर से आग्रह किया गया एक अन्य पहलू यह था कि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट ने सुझाव दिया/सिफारिश की कि

मॉडल नियमों के नियम 10 (5) का अनुपालन नहीं किया जाता है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री जाँच के दौरान गवाहों और अन्य दस्तावेजों के बयान, जो एक महीने की अवधि के भीतर किए जाने थे, की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी और इसकी एक प्रति प्रतिवादी या उसके माता-पिता या अभिभावक को प्रदान की जानी चाहिए थी क्योंकि यह प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक होगा।

58. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दो मामलों पर सी. बी. आई. के विद्वान वकील श्री विक्रमजीत बनर्जी के तर्क को खारिज करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, मॉडल नियमों के नियम 10 (5) को बरुण चंद्र ठाकुर बनाम के साथ टकराव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

अधिनियम, 2015 की धारा 99 और दूसरी बात यह कि जाँच के दौरान एकत्र की गई कोई भी सामग्री अभियुक्त को तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि धारा 173 (2) Cr.P.C के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है और मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 के तहत संज्ञान नहीं लिया जाता है और धारा 207/208 Cr.P.C के चरण तक नहीं पहुँच जाता है। अधिनियम, 2015, एक विशेष अधिनियम होने के नाते, Cr.P.C के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया पर एक प्रमुख प्रभाव डालेगा। आई. डी. 1. के प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे अधिनियम, 2015 में निहित विशेष प्रावधानों के साथ टकराव में नहीं हैं।

टाइमलाइन

59. अधिनियम, 2015 के तहत जांच, एस. आई. आर. प्रस्तुत करने, प्रारंभिक मूल्यांकन और जांच के लिए एक समय सीमा प्रदान की गई है। और मॉडल नियमः

आई.

बोर्ड द्वारा धारा 14 (1) के तहत जांच की जानी है

बोर्ड के समक्ष बच्चे के पहले जन्म की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पूरा किया गया, और बोर्ड द्वारा धारा 14 (2) के अनुसार दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इसे दो और महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

धारा 14 (3) में प्रावधान है कि इसके तहत एक प्रारंभिक मूल्यांकन

ii.

धारा 15 का निपटान बोर्ड द्वारा पहली प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

बोर्ड के सामने बच्चा।

धारा 14 (4) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि

iii.

छोटे अपराधों के लिए धारा 15 के तहत बोर्ड विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णायक रहता है, कार्यवाही

समाप्त हो जाएगा।

गंभीर मामलों से निपटने के लिए धारा 14 (4) के प्रावधान के तहत

iv.

या जघन्य अपराध, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता होती है, तो वे हो सकते हैं -

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कारणों के लिए

अभिलिखित करें।

धारा 8 (3) (ई) के तहत, एस. आई. आर. द्वारा प्रस्तुत किया जाना है

वी.

परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या एक सामाजिक कार्यकर्ता पहली तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर

बोर्ड के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करना।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मॉडल नियमों के नियम 10 (5) में, जघन्य अपराधों के मामले में

vi.

16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे द्वारा किए गए अपराध को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अपने द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान और तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

बच्चे के पहले जन्म की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर जांच के दौरान

बोर्ड।

60. ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई समय-सीमा का एक तर्क है। पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाने वाला एस. आई. आर. बोर्ड को जमानत के अनुरोध पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा।

61. वर्तमान मामले में, नियम 10 (5) के तहत सामग्री प्रदान किए जाने तक प्रारंभिक मूल्यांकन को स्थगित करने के प्रतिवादी के अनुरोध के बावजूद, बोर्ड द्वारा 13.12.2017 पर अस्वीकार कर दिया गया था और बोर्ड इसके बाद एक सप्ताह के भीतर 20.12.2017 पर प्रारंभिक मूल्यांकन का आदेश देने के लिए आगे बढ़ा। बच्चे को हिरासत में ले लिया गया था और पहली बार 08.11.2017 पर बोर्ड के सामने पेश किया गया था। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए तीन महीने की अवधि 07.02.2018 तक जारी रही होगी। बोर्ड को मॉडल नियमों के नियम 10 (5) के तहत रिपोर्ट और सामग्री की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसी तरह, एक बार मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर आगे की जांच की जाए तो यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी को रोहतक में एक विशेष संस्थान में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इस सुझाव को भी बोर्ड द्वारा बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार नहीं किया गया था।

प्रारम्भिक मूल्यांकन

62. प्रारंभिक बनाने में बोर्ड का दायित्व

अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित चार मामलों पर मूल्यांकन काफी हद तक बोर्ड के विवेक पर निर्भर करता है।

बोर्ड इस तरह के प्रारंभिक मूल्यांकन का संचालन कैसे करेगा, इसके बारे में कोई दिशानिर्देश। इस तरह के किसी भी ढांचे या दिशानिर्देशों के अभाव में, बोर्ड को चार विशेषताओं का आकलन करने के लिए जो भी सामग्री उपयुक्त लगती है, उसे ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का उपयोग करना होगा।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

वर्तमान मामले में, बोर्ड और बाल न्यायालय,

(अ)

बाद के चरण में बच्चे द्वारा दी गई एस. आई. आर. और 95 के आई. क्यू. स्तर का संकेत देने वाली मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरदाता के पास इसे करने की मानसिक क्षमता थी।
अपराध।

(ख)

जहां तक भौतिक क्षमता का संबंध है, बोर्ड

और बाल न्यायालय ने बच्चे के निर्माण और उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए यह माना है कि उसके पास शारीरिक था

कथित हमले की प्रकृति को करने की क्षमता।

((ग)

बोर्ड ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि प्रतिवादी था 11 वीं कक्षा में पढ़ रहे थे; उन्होंने कहा था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं; उनका आई. क्यू. स्तर दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें इसके परिणामों का पता नहीं था।

उसके द्वारा किया गया कथित अपराध। प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत मूल्यांकन के दौरान दर्ज किए गए बयान से यह संकेत मिला कि वह काफी परिपक्व था। इन सभी तथ्यों ने बोर्ड को संतुष्ट किया कि प्रतिवादी

पर्याप्त परिपक्वता और अपने कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता रखता था।

बोर्ड का आदेश कहीं भी इसका उल्लेख नहीं करता है

((घ)

उन परिस्थितियों के बारे में मूल्यांकन जिसमें प्रतिवादी ने कथित रूप से अपराध किया था। लेकिन, क्या

ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड एस. आई. आर. पर निर्भर था।

63. वर्तमान मामले में, बोर्ड और बाल न्यायालय ने मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा किया जो केवल उनके आई. क्यू. को दर्शाता है।

95 के अंक वाले औसत स्तर के होने के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि प्रत्यर्थी में अपराध करने की मानसिक क्षमता थी और अपराध के परिणामों को जानने की क्षमता भी थी। बोर्ड और बच्चों का

दोनों अदालतों ने यह भी दर्ज किया है कि मनोचिकित्सक द्वारा प्रतिवादी को आगे के मूल्यांकन के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक भेजने की सिफारिश आवश्यक नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार, आई. क्यू. निष्कर्ष उनके लिए पर्याप्त थे।

प्रारंभिक मूल्यांकन।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

65. एक बच्चे को वयस्क मानते समय उसकी शारीरिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक क्षमताओं, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। योग्यताएँ। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि एक तंत्रिका-जैविक दृष्टिकोण से, संज्ञानात्मक, व्यवहार संबंधी विशेषताओं का विकास जैसे

संतुष्टि, निर्णय लेने, जोखिम लेने, आवेग, निर्णय आदि में देरी करने की क्षमता 20 के दशक की शुरुआत तक जारी रहती है। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के मूल्यांकन को ऐसी विशेषताओं में अंतर करने के लिए किया जाए

एक बच्चे और एक वयस्क के बीच।

66. संज्ञानात्मक परिपक्वता वंशानुगत कारकों पर अत्यधिक निर्भर है। भावनात्मक विकास से संज्ञानात्मक परिपक्वता प्रभावित होने की संभावना कम होती है। हालाँकि, यदि भावनाएँ बहुत तीव्र हैं और बच्चा भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो बौद्धिक अंतर्दृष्टि/ज्ञान पीछे हट सकता है।

बैठने के लिए।

67. हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत हैं कि मनोवैज्ञानिक द्वारा अनुशंसा किए जाने और संस्थान के नाम का सुझाव दिए जाने के बाद आगे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। बोर्ड और बाल न्यायालय स्पष्ट रूप से थे

यह विचार कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही थी, अर्थात

यदि बच्चे में अपराध करने की मानसिक क्षमता थी, तो उसके पास स्वतः ही अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता थी। यह, हमारी मानी हुई राय में, उनके द्वारा की गई एक गंभीर गलती है।

68. धारा 15 में प्रयुक्त भाषा "अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता" है। प्रयोग की गई अभिव्यक्ति बहुलता में है।

अर्थात्, अपराध के "परिणाम" और इसलिए, केवल अपराध के तत्काल परिणाम तक ही सीमित नहीं होंगे या कि -

अपराध की घटना का परिणाम केवल बरुण चंद्र ठाकुर बनाम पर होगा।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

पीड़ित लेकिन यह अपने दायरे में परिणाम भी लेगा जो

हमले के परिणामस्वरूप न केवल पीड़ित पर, बल्कि पीड़ित के परिवार, बच्चे, उसके परिवार पर भी पड़ सकता है, और वह भी न केवल तत्काल परिणाम बल्कि भविष्य में दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। परिणाम भौतिक/शारीरिक रूप में हो सकते हैं लेकिन आने वाले सभी समय के लिए बच्चे के मन और मनोविज्ञान को भी प्रभावित कर सकते हैं। अपराध के परिणाम कई और कई गुना हो सकते हैं जो

इसे केवल एक ढांचे से नहीं जोड़ा जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा मामले के तथ्यों के संदर्भ में समग्र तस्वीर और भविष्य के परिणामों का सचेत रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

69. पीड़ित के लिए परिणाम उसकी मृत्यु, या स्थायी शारीरिक अक्षमता, या एक चोट हो सकती है जिसे ठीक किया जा सकता है या पुनर्प्राप्त किया जा सकता है; पीड़ित के दिमाग पर अपराध का प्रभाव लंबे समय तक हो सकता है और उसके जीवनकाल तक जारी रह सकता है; पीड़ित के परिवार और दोस्तों पर प्रभाव, मानसिक और वित्तीय दोनों; बच्चे पर जाने का परिणाम।

कारावास; बच्चे पर मानसिक प्रभाव, यह पश्चाताप या जीवन के लिए पश्चाताप हो सकता है, बच्चे और उसके परिवार पर डाला गया सामाजिक कलंक सदस्य; मुकदमेबाजी के परिणाम और कई अन्य चीजें जिन्हें जोड़ना मुश्किल होगा।

70. औसत बुद्धि/आई. क्यू. वाले बच्चे को अपने कार्यों के परिणामों का बौद्धिक ज्ञान होगा। लेकिन वह है या नहीं

स्वयं को या अपने कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम होना उसकी भावनात्मक क्षमता के स्तर पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, जोखिम भरे वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर भावनात्मक क्षमता अधिक नहीं है, रोमांच की इच्छा उसकी बौद्धिक समझ को बेहतर बना सकती है।

71. बच्चे अधिक तत्काल संतुष्टि के लिए तैयार हो सकते हैं और दीर्घकालिक परिणामों को गहराई से समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

उनके कार्यों के बारे में। वे तर्क के बजाय भावना से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। शोध से पता चलता है कि युवा लोग अपने लिए जोखिमों को जानते हैं। इस ज्ञान के बावजूद, किशोर वयस्कों की तुलना में जोखिम भरे व्यवहार में संलग्न होते हैं (जैसे कि नशीली दवाओं और शराब का उपयोग, असुरक्षित यौन गतिविधि, खतरनाक ड्राइविंग और/या अपराधी व्यवहार)। जबकि वे जोखिमों पर संज्ञानात्मक रूप से विचार करते हैं (किसी विशेष कार्य के संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का वजन करके), उनके निर्णय/कार्य सामाजिक (जैसे साथियों के प्रभाव) और/या भावनात्मक (जैसे आवेगपूर्ण) प्रवृत्तियों से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, अनुभव की कमी और बच्चे की दीर्घकालिक परिणामों को गहराई से समझने की सीमित क्षमता

उनके कार्यों से आवेगपूर्ण/लापरवाह निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

72. अंतिम गणना पर आते हुए, अर्थात, उन परिस्थितियों के संबंध में मूल्यांकन जिसमें अपराध कथित रूप से किया गया है, फिर से किया जाता है। एक विशेषता जिस पर इस तरह का मूल्यांकन करने से पहले कई कारकों पर विचार किया जा सकता है। एक व्यक्ति के अपराध करने के कई कारण हो सकते हैं। यह शत्रुता हो सकती है, यह गरीबी हो सकती है, यह लालच हो सकता है, यह मन में विकृति हो सकती है और कई अन्य। जबरदस्ती हो सकती है। किसी के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है। भौतिक और भौतिक लाभ के संदर्भ में आकर्षण हो सकता है। अपराध तनाव या अवसाद के कारण भी किया जा सकता है। यह उस कंपनी के कारण हो सकता है जिसे कोई रखता है। कोई अपराध कर सकता है

अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए। इन सभी और कई अन्य परिस्थितियों को अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ कहा जा सकता है।

73. प्रारंभिक मूल्यांकन बहस, विश्लेषण और अनुसंधान का प्रश्न रहा है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उड़ीसा

अधिनियम, 2015 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन। उक्त रिपोर्ट को अनुलग्नक 4 के रूप में संलग्न किया गया है, बाल विभाग द्वारा विकसित कानून में संघर्ष में बच्चों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर मार्गदर्शन टिप्पणियाँ और किशोर मनोचिकित्सा, निमहान्स, बेंगलुरु। यहां यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि निम्हान्स, बेंगलुरु मनोविज्ञान के अनुसंधान और अध्ययन में शामिल प्रमुख संस्थानों में से एक है, और मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। ऊपर उल्लिखित मार्गदर्शन टिप्पणियों की सामग्री नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है।

" दिशा-निर्देश टिप्पणियाँ

कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट

बाल और किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहान्स,

बेंगलुरु

प्रारंभिक मूल्यांकन विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन (जो पहले किया जाता है) से जानकारी का उपयोग करता है और उस जानकारी को नीचे उल्लिखित रूप में प्रस्तुत करता है।

ए. कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता

सामाजिक निर्णय लेने और निर्णय लेने की बच्चे की क्षमता के कारण समझौता किया जाता है:

' राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

जीवन कौशल की कमी (भावनात्मक अनियंत्रण/कठिनाई)

((i)

साथियों के दबाव/दृढ़ता और बातचीत कौशल/समस्या-समाधान/संघर्ष-समाधान/निर्णय से निपटना।

बनाना)।

परिवार/गरीब परिवार की भूमिका द्वारा उपेक्षा/खराब पर्यवेक्षण

((ख)

मॉडल

(iii) दुर्व्यवहार और आघात के अनुभव

(iv) मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्याएं

(v) बौद्धिक अक्षमता

(vi) मानसिक स्वास्थ्य विकार/विकासात्मक अक्षमता
(vii) अब तक प्रदान किया गया उपचार/हस्तक्षेप

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

इस खंड के लिए, प्रारंभिक मूल्यांकन प्रपत्र को भरने वाले पेशेवर को केवल प्रत्येक वस्तु ('हां' को इंगित करने के लिए एक टिक मार्क और 'नहीं' को इंगित करने के लिए एक एक्स मार्क) के खिलाफ चिह्नित करने की आवश्यकता होती है कि क्या इस विशेष क्षेत्र में बच्चे से समझौता किया गया है या नहीं। यह जानकारी विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रासंगिक वर्गों से ली गई है।

प्रोफार्मा, जिसमें निम्नलिखित पर जानकारी होती हैः कैसे एक बच्चे की उचित सामाजिक निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता (जो कार्यों और व्यवहारों में बदल जाती है) बच्चे की जीवन परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य या विकास संबंधी समस्याओं से प्रभावित हुई है।

जीवन कौशल की कमी पर मद (i) के लिए, धारा 6, 'जीवन कौशल की कमी और बच्चे के अन्य अवलोकन' और उप-धारा 6.1 का संदर्भ लें। जीवन कौशल की कमी पर '।

मद (ii) के लिए, धारा 2, उप-धारा 2 का संदर्भ लें। पारिवारिक मुद्दों की पहचान '। दुर्व्यवहार और आघात के अनुभवों पर मद (iii) के लिए, धारा 3, 'आघात अनुभवः शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अनुभव '।

मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य विकारों/विकासात्मक अक्षमता पर मदों (iv) और (vi) के लिए, धारा 5, 'मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं' का संदर्भ लें। बौद्धिक अक्षमता पर मद (v) के लिए, आप मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रारूप को प्रशासित करने की पूरी प्रक्रिया के

दौरान बच्चे के साथ अपनी बातचीत के आधार पर अपने निर्णय पर भरोसा कर सकते हैं-यदि [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चा अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था या एक आयु-उपयुक्त तरीके से जवाब देने में असमर्थ था (जैसे एक छोटा बच्चा, पूछी गई या चर्चा की गई कई चीजों की बहुत कम समझ का प्रदर्शन करता है), तो आप कर सकते हैं संदेह है कि उसे बौद्धिक अक्षमता है। (इसके बाद प्रासंगिक आई. क्यू. परीक्षण के माध्यम से इसकी पुष्टि करना उपयोगी और आवश्यक होगा

मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थित मनोवैज्ञानिकों द्वारा आयोजित)।

मद (vii) के लिए, आपने मूल्यांकन के दौरान बच्चे से पूछा होगा कि क्या उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों/पारिवारिक समस्याओं या जीवन कौशल की कमी के लिए कोई पेशेवर सहायता या उपचार प्राप्त हुआ है। (आम तौर पर, अवलोकन गृह में बच्चों को कभी भी उनकी समस्याओं के लिए कोई उपचार या हस्तक्षेप नहीं मिला है)।

वास्तव में, गंभीर शारीरिक अक्षमता (वह प्रकार जो लोकोमोटर कौशल को गंभीर रूप से प्रभावित करता है) या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति को छोड़कर हर किसी में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है। इसलिए, यह पूछने के लिए कि क्या किसी दिए गए बच्चे में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है, सरल शब्दों में, यह पता चलने की संभावना है

ज्यादातर मामलों में 'हां' में जवाब दें। और सिर्फ इसलिए कि किसी के पास अपराध करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे करेंगे या उनके पास है। इसलिए, जेजे अधिनियम द्वारा उठाए गए इस प्रश्न से प्राप्त द्वैत प्रतिक्रिया का निर्णय लेने में बहुत कम उपयोग होता है

उस बच्चे के बारे में जो कानून के साथ संघर्ष में आ गया है। इस प्रकार, शारीरिक-मानसिक क्षमता के प्रश्न पर एक सरल द्वैत प्रतिक्रिया से उत्पन्न समस्याओं के जवाब में, हमने एक अधिक विस्तृत, वर्णनात्मक और सूक्ष्म व्याख्या को अपनाया है। प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हमने अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता विकसित की है, जो बच्चे की कुछ सीमाओं के आधार पर सामाजिक निर्णय लेने और निर्णय लेने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, जीवन कौशल की कमी, परिवार/गरीब परिवार के आदर्शों द्वारा उपेक्षा/खराब पर्यवेक्षण के कारण सामाजिक निर्णय लेने और निर्णय लेने की एक बच्चे की क्षमताओं से समझौता किया जाता है।

दुरुपयोग और आघात के अनुभव, मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याएं,

बौद्धिक अक्षमता, और/या मानसिक स्वास्थ्य विकार/विकासात्मक अक्षमता। इस तरह के मुद्दे (यदि अनुपचारित किए जाते हैं) बच्चों के विश्व दृष्टिकोण और उनके शारीरिक और सामाजिक वातावरण के साथ उनकी बातचीत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे उन्हें असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का खतरा होता है।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

B. कथित अपराध की परिस्थितियाँ

पारिवारिक इतिहास और संबंध (बच्चे का जीवन)

((i)

व्यवस्थाएँ, माता-पिता के संबंध, बच्चे के भावनात्मक संबंध

माता-पिता के साथ संबंध और लगाव, बीमारी और परिवार में शराब, घरेलू हिंसा और वैवाहिक संबंध

यदि कोई विवाद हो)।

स्कूल और शिक्षा (बच्चे की स्कूल उपस्थिति, अंतिम)

((ख)

कक्षा में उपस्थित होना, बच्चे के स्कूल न जाने के कारण चाहे वह वित्तीय मुद्दों के कारण हो या शिक्षा की कमी के कारण।

प्रेरणा, स्कूल से इनकार, शारीरिक दंड)।

(iii)

कार्य अनुभव/बाल श्रम (बच्चे को ऐसा क्यों करना पड़ा?

काम/बच्चे को काम की जगह कैसे मिली, जहाँ वह काम कर रहा था/काम के घंटे और प्राप्त पारिश्रमिक की राशि, क्या नियोक्ता द्वारा कोई शारीरिक/भावनात्मक दुर्व्यवहार था और बच्चे को मादक द्रव्यों के सेवन आदि के संबंध में कार्यस्थल में नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है)।

समवयस्क संबंध (समवयस्कों का प्रतिकूल प्रभाव)

((iv)

मादक द्रव्यों के उपयोग का संदर्भ/नियम-तोड़ना/अनुचित

यौन व्यवहार/विद्यालय में उपस्थिति)

((iv) आघात और दुर्व्यवहार के अनुभव (शारीरिक, यौन और यौन)

भावनात्मक दुर्व्यवहार के अनुभव) 3 (vi) मानसिक स्वास्थ्य विकार और विकासात्मक अक्षमताएँ: (मानसिक स्वास्थ्य विकार और विकासात्मक अक्षमताएँ जो बच्चे को होती हैं

हो सकता है)।

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

इस खंड के लिए उपरोक्त सभी जानकारी को प्रलेखित किया जाना है क्योंकि यह विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में है, जो विस्तृत मूल्यांकन से प्रासंगिक खंडों पर आधारित है, ताकि उन कारकों और परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जा सके जो बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

अपराध करना।

जिसमें परिवार, स्कूल, संस्थान और साथियों के मुद्दों पर विवरण शामिल है; आघात पर पांचवें मद के लिए जानकारी, धारा 3, आघात अनुभवों से ली जानी चाहिएः शारीरिक, यौन और भावनात्मक मनोसामाजिक मूल्यांकन प्रपत्र के दुर्व्यवहार अनुभव; [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर छठे मद के लिए, मनोसामाजिक मूल्यांकन प्रपत्र से धारा 5, 'मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं' (मादक द्रव्यों के सेवन सहित) का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि 'अपराध की परिस्थितियाँ' निकटवर्ती कारकों को संदर्भित नहीं करती हैं अर्थात अपराध की घटना होने से ठीक पहले क्या हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि समीपस्थ कारकों का एक इतिहास होता है जो यह पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है कि कारकों और जीवन की घटनाओं का एक पूरा समूह है जो निर्णयों और कार्यों को सही करने के लिए प्रेरित करता है।

अपराध के साथ-साथ अपराध से पहले भी। इसलिए,

' परिस्थितियों की व्याख्या जीवन की परिस्थितियों के रूप में की जाती है और

अपराधों की कमजोरियों और मार्गों को समझने के लिए अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें बच्चे के जन्म (या मां के गर्भावस्था के अनुभवों से शुरू होकर) से लेकर वर्तमान तिथि तक की घटनाएं और परिस्थितियाँ शामिल हैं। यह इतिहास के लिए सार्वभौमिक दृष्टिकोण है-बच्चे और किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य को अपनाना, ताकि

बच्चों की भावनाओं और व्यवहारों को उनके आधार पर समझें

संदर्भ और अनुभव, जैसा कि वे कई वर्षों से खेले हैं (और इसलिए यह वास्तव में कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए विशिष्ट नहीं है)।

ग. कथित अपराध करने के परिणामों के बारे में बच्चे का ज्ञान

(बच्चे की सामाजिक/सामाजिक समझ के बारे में संक्षिप्त जानकारी

इस तरह के अपराध करने के संबंध में बच्चे की अंतर्दृष्टि के साथ अपराध करने के पारस्परिक और कानूनी परिणाम)।

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

यह विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में 'परिवर्तन की संभावना' अनुभाग के साथ-साथ पहले पर आधारित है।

इसके तुरंत बाद प्रदान किए गए स्तर के हस्तक्षेप। बच्चे कैसे?

मूल्यांकन के दौरान जवाब दिया अर्थात उसकी अंतर्दृष्टि की सीमा और

सामाजिक और पारस्परिक परिणाम बच्चे की सहानुभूति की भावना और इस बात की समझ को संदर्भित करते हैं कि उसके कार्य परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों को (नकारात्मक रूप से) कैसे प्रभावित करेंगे; कानूनी परिणाम बच्चे की समझ को उसके कार्यों के बारे में सीमा उल्लंघन/नियमों के उल्लंघन के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसमें उसके लिए गंभीर नकारात्मक परिणाम होते हैं, जिसमें सजा और आना शामिल है। कानून के साथ टकराव।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

घ. अन्य अवलोकन और मुद्दे

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

अवलोकन में बच्चे के सामाजिक स्वभाव/बच्चे के व्यवहार के संबंध में मूल्यांकन के दौरान किया गया कोई अन्य अवलोकन। घर/परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्तर/यदि कोई सकारात्मक व्यवहार नोट किया गया है तो भी प्रदान किया जाता है। यह धारा 6 से लिया जा सकता है

'जीवन कौशल की कमी और बच्चे के अन्य अवलोकन' पर मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रारूप, उप-धारा 6.2 'बच्चे के अन्य अवलोकन'। ये न केवल नकारात्मक टिप्पणियों को संदर्भित करते हैं, बल्कि मूल्यांकन के दौरान आपके द्वारा की गई सकारात्मक टिप्पणियों को भी संदर्भित करते हैं।

हिंसा या दुर्व्यवहार जैसे व्यवहार जो बेहतर मदद कर सकते हैं यह समझें कि वह कौन है (और मजिस्ट्रेट को अपराध को देखने में मदद करें)

विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यवहार)। उनमें कोई भी विषम व्यवहार भी शामिल हो सकता है जिसे आप देखते हैं जो पुष्टि करने में मदद कर सकता है

उदाहरण के लिए, मानसिक स्वास्थ्य विकारों और विकासात्मक अक्षमताओं पर साक्ष्य, यदि बच्चे की प्रतिक्रियाएं उसकी उम्र के लिए सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से अनुचित लगती हैं, तो आप संभावित बौद्धिक अक्षमता को नोट कर सकते हैं; या यदि कोई बच्चा स्थान और समय के मामले में विचलित दिखाई देता है या उसके शरीर पर आत्म-नुकसान के निशान हैं, तो आप मानसिक स्वास्थ्य को नोट कर सकते हैं।

मुद्दे।

ई. सिफारिशें

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

अंत में, रिपोर्ट उपचार के लिए सिफारिशें करती है और बच्चे की रुचियों और इच्छाओं के आधार पर बच्चे के लिए पुनर्वास हस्तक्षेप। ये नियोजन, रहने की व्यवस्था, शिक्षा और स्कूली शिक्षा, माता-पिता के लिए परामर्श, आगे के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल और उपचार के लिए एक तृतीयक सुविधा के लिए रेफरल से संबंधित हो सकते हैं। यह उप-धारा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जेजेबी मजिस्ट्रेट को स्पष्ट निर्देश प्रदान करती है कि बच्चे को किस सहायता की आवश्यकता है, इस प्रकार बोर्ड के लिए विकल्पों पर विचार करना और उन तरीकों से प्रतिक्रिया देना अनिवार्य है जो सहायक और सक्रिय हैं (बनाम वयस्क न्याय प्रणाली में हस्तांतरण के निर्णय लेना)।

जेजेबी मजिस्ट्रेटों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे बच्चे को इलाज के लिए किसी मनोरोग केंद्र में भेजें, ताकि परिवार और स्कूल से संबंधित अन्य मुद्दों का भी ध्यान मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा रखा जा सके, जो कि [2022] 10 एस. सी. आर. है।

फिर बच्चे की प्रगति पर जेजेबी को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य। कई मामलों में, जेजेबी मजिस्ट्रेटों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सशर्त जमानत जारी की है कि बच्चा और परिवार आवश्यकतानुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का पालन करते हैं अर्थात बच्चे को इस शर्त पर जमानत दी जाती है कि वह मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में उपस्थित हो और उपचार का पालन करे (यदि बच्चा ऐसा करने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट जमानत को रद्द कर सकता है)। इस प्रकार, जेजे अधिनियम के तहत पर्याप्त प्रावधान हैं, जिनका यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग सीआईसीएल को वयस्क प्रणालियों में हस्तांतरण से बचाने और इसके बजाय उनके पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है।

धारा 15 (1) निदेश का प्रावधान या

अनिवार्यताः

74. दुनिया मानती है कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के साथ कानून के साथ संघर्ष करने वाले वयस्कों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि बच्चे का मन परिपक्व नहीं हुआ है और यह अभी भी विकसित हो रहा है। इसलिए, बच्चे का विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किया जाना चाहिए और उसे मुख्य धारा में लाए जाने का अवसर दिया जाना चाहिए, यदि उसके किशोरावस्था के दौरान, उसने कानून के साथ टकराव में काम किया है। बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए, न केवल हाल ही में बल्कि सदियों पुराने समय से अध्ययन के बड़े दौर किए गए हैं और बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन दुनिया भर में किया जा रहा है और ऐसे संस्थान हैं जो विशेष रूप से उक्त विषय पर विकास और अनुसंधान से संबंधित हैं। बच्चों से संबंधित अधिनियम दुनिया भर में लागू किए जाते हैं।

75. यह ध्यान देने योग्य है कि बाल मनोविज्ञान एक विशेष शाखा है।

कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के परिणामों को समझना, किसी भी तरह से, एक कार्यहीन और नियमित कार्य की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया जिस पर संघर्ष में बच्चे का भाग्य कानून के साथ अनिश्चित रूप से आराम किया जाता है, एक सावधानीपूर्वक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किए बिना नहीं लिया जाना चाहिए।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

76. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं, एक न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से एक न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी होता है। महिला। एक सदस्य के रूप में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता एक हो सकता है

बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा में डिग्री लेकिन यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि बोर्ड के गठन में कोई विशेषज्ञ न हो।

बाल मनोवैज्ञानिक। यह उपरोक्त सभी कारणों से है कि यह न केवल धारा 15 और 101 (2) में बल्कि मॉडल नियमों के तहत भी प्रदान किया गया है कि एक विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक से सहायता ली जा सकती है। अधिनियम, 2015 की रूपरेखा और आदर्श नियमों और इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

धारा 15 के संदर्भ में प्रारंभिक मूल्यांकन के साथ-साथ बोर्ड की विभिन्न संरचना को देखते हुए, हमारा विचार है कि जहां बोर्ड में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाले पेशेवर शामिल नहीं हैं। बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा, धारा 15 (1) के परंतुक में "हो सकता है" अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में काम करेगी और बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए बाध्य होगा। हालाँकि, यदि बोर्ड में कम से कम एक ऐसा सदस्य होता है, जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर रहा है, तो बोर्ड ऐसी सहायता ले सकता है जो उसके द्वारा उचित मानी जाए; और यदि बोर्ड ऐसी सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो बोर्ड से इसके लिए विशिष्ट कारण बताने की आवश्यकता होगी।

77. यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि 'मई' शब्द का उपयोग जब किसी कानून में किया जाता है तो वह अपने आप में निर्देशिका के अर्थ को नहीं दर्शाता है। यदि किसी विशेष मामले में, समता और न्याय के हित में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक

वैधानिक कर्तव्य, तब "हो सकता है" शब्द का उपयोग न्यायालय को इसे अनिवार्य रंग देने से नहीं रोकेगा। बच्चन देवी बनाम में यह न्यायालय।

नगर निगम, गोरखपुर ", निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 18. यह अच्छी तरह से तय है कि एक वैधानिक प्रावधान में "हो सकता है" शब्द का उपयोग अपने आप में यह नहीं दिखाएगा कि प्रावधान

प्रकृति में निर्देशिका है। कुछ मामलों में, विधायिका शुद्ध पारंपरिक शिष्टाचार के रूप में "मई" शब्द का उपयोग कर सकती है और फिर भी एक अनिवार्य बल का इरादा रखती है। इसलिए, "मई" शब्द के कानूनी महत्व की व्याख्या करने के लिए, अदालत को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात्, अधिनियम का उद्देश्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके खिलाफ

शब्दों का उपयोग किया गया है, उद्देश्य और लाभ की मांग की गई है इस शब्द के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है, और इसी तरह। यह है।

समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां "हो सकता है" शब्द में एक शामिल है

विवेक एक दायित्व के साथ या जहां यह एक प्रदान करता है

उपयोगिता अधिनियम में विषयों के एक सामान्य वर्ग के लिए सकारात्मक लाभ,

या जहाँ अदालत एक उपाय आगे बढ़ाती है और दमन करती है

शरारत, या जहाँ शब्द निर्देशिका को महत्व देते हैं अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने के लिए, "हो सकता है" शब्द की व्याख्या एक अनिवार्य बल को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए। एक सामान्य नियम के रूप में, "मई" शब्द अनुमति देने वाला और लागू करने वाला है।

विवेकाधिकार और विशेष रूप से, जहां इसका उपयोग संयोजन में किया जाता है

एक कर्तव्य लागू करता है। हालाँकि, ऐसे मामले नहीं चाह रहे हैं जहाँ "हो सकता है", "होगा" और "चाहिए" शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाए। यह पता लगाने के लिए कि क्या इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है निर्देशिका या एक अनिवार्य अर्थ में, विधायिका के इरादे को प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ देखा जाना चाहिए।

78. इसी तरह, यह न्यायालय धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। की स्थिति

, आयोजितः

" 36. ..... हमारे निर्णय में, केवल "हो सकता है" या "होगा" शब्द का उपयोग।

निर्णायक नहीं है। सवाल कि क्या कोई विशेष प्रावधान है

एक क़ानून की निर्देशिका या अनिवार्य है जिसे इसके द्वारा हल नहीं किया जा सकता है

सार्वभौमिक अनुप्रयोग के किसी भी सामान्य नियम को निर्धारित करना। इस तरह विवाद का फैसला इरादे का पता लगाकर किया जाना चाहिए।

प्रावधान पहना हुआ है। और विधायी का पता लगाने के लिए इरादे से, अदालत को अधिनियम की योजना, उद्देश्य की जांच करनी चाहिए

और प्रावधान में अंतर्निहित वस्तु, इसके संभावित परिणाम यदि प्रावधान पढ़ा जाता है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली या होने वाली असुविधा

एक या दूसरे तरीके से और कई और प्रासंगिक विचार

इस मुद्दे पर "।

79. इसलिए, अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और इसके सक्रिय इरादे को देखते हुए, विशेष रूप से शून्य के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, धारा 15 (1) के परंतुक में "हो सकता है" अभिव्यक्ति अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेने की आवश्यकता है।यचो-सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से काम करेंगे

7) 8 एस. सी. सी. 338 बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शामिल न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर हो। इसके अलावा, यदि बोर्ड, कम से कम एक सदस्य के साथ अपनी संरचना को देखते हुए, जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास पेशेवर है, ऐसी सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो वह इसके लिए विशिष्ट कारणों को दर्ज करेगा। 80. बंद करने से पहले, यह उल्लेख करना उचित होगा कि विभिन्न मुद्दों पर हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन मामले कानूनों पर भरोसा किया गया है, उनमें विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

81. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति बोर्ड और बच्चों के बोर्ड में भी निहित है।

क्रमशः धारा 15 और 19 के तहत न्यायालय। बच्चों का न्यायालय, पर धारा 18 (3) के तहत संदर्भित किए जाने वाले किसी मामले पर, फिर भी

यह जांच करें कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, और यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जाना था, तो यह स्वयं एक बोर्ड के रूप में जांच करेगा और धारा 18 के तहत उचित आदेश पारित करेगा। इस प्रकार, प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति बोर्ड और बाल न्यायालय के पास है। यह न्यायालय प्रारंभिक मूल्यांकन के अभ्यास पर विचार नहीं कर सकता है। यह न्यायालय केवल इस बात की जांच करेगा कि प्रारंभिक मूल्यांकन कानून के तहत आवश्यकता के अनुसार किया गया है या नहीं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी, संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए

82. निष्कर्ष पर पहुँचने पर, उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर से वंचित किया गया था। इसकी सूची दस्तावेज़, दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, बयान की प्रतियाँ, प्रतिवादी को एस. आई. आर. प्रदान नहीं किया जाना, मॉडल नियमों के नियम 10 (5) का स्पष्ट उल्लंघन था।

83. रिपोर्ट देने वाले विशेषज्ञों की प्रतिपरीक्षा के लिए विशिष्ट अनुरोध के बावजूद, प्रतिवादी को यह प्रदान नहीं किया गया था। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण लागू नहीं थे या हो सकते थे [2022] 10 एस. सी. आर.

15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे पर लागू नहीं किया गया है। यह केवल एक परीक्षण में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और दूसरे परीक्षण में 11.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया जा सकता था। मनोवैज्ञानिक ने एक बेहतर सुविधा द्वारा आगे के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया था, जिसे बोर्ड द्वारा बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार नहीं किया गया था।

84. बच्चे के आई. क्यू. के आधार पर लागू सूत्र के अनुसार मानसिक आयु 16 वर्ष से कम होगी। बोर्ड ने केवल 30 प्रदान किए

बच्चे, उसके वकील, उसके पिता और सी. बी. आई. के वकील को रिपोर्ट के 35 पृष्ठों को पढ़ने के लिए मिनट का समय दिया गया, जो कि पढ़ने और समझने और खंडन में कोई सबूत देने के लिए बहुत कम था। सीबीआई ने

वकील ने स्वीकार किया था कि उसके पास अधिनियम, 2015 के तहत जांच करने के लिए अधिकारी या आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं था। उपरोक्त सभी कारणों से, उच्च न्यायालय ने बोर्ड और बाल न्यायालय दोनों के आदेशों को रद्द करने के बाद मामले को बोर्ड को भेज दिया ताकि नए सिरे से विचार किया जा सके और बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, शारीरिक फिटनेस का आकलन किया जा सके और यह भी कि कानून के साथ संघर्ष में बच्चा अपराध के परिणामों को जानने की स्थिति में कैसे था। यह अभ्यास छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जबकि

नए सिरे से प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए सरकारी अस्पताल (मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक) के मनोवैज्ञानिक की राय प्राप्त की जाए। यह न्यायालय सभी मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और आगे परीक्षण करने के लिए दिए गए निर्देश से सहमत नहीं हो सकता है। हालाँकि, हमें पर्याप्त अवसर की कमी पर त्रुटियों को सुधारने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजने में उच्च न्यायालय के अंतिम परिणाम से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है।

85. उच्च न्यायालय ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए

बोर्ड के आदेश को दरकिनार कर दिया, और मामले को रिमांड पर ले लिया और बच्चे की आगे की जांच करने का भी निर्देश दिया, और यह अभ्यास 6 सप्ताह के भीतर किया जाना था। आज 3 साल बाद हम उस स्थिति में नहीं हैं इस बारे में राय देना कि क्या इस स्तर पर कोई और परीक्षण किया जा सकता है क्योंकि बच्चे की आयु अब 21 वर्ष से अधिक है। हालाँकि, हम इसे बोर्ड या मनोवैज्ञानिक के विवेक पर छोड़ देते हैं जो हो सकता है

इस बारे में परामर्श किया जाए कि क्या कोई नई परीक्षा किसी की होगी

प्रासंगिकता/सहायता या नहीं। हम पहले ही विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं कि धारा 15 के तहत किस प्रकार के विश्लेषण या मूल्यांकन की आवश्यकता है। अधिनियम, 2015 या मॉडल नियम बोर्ड को उचित प्रारंभिक बरुण चंद्र ठाकुर बनाम बनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए कोई दिशा-निर्देश या रूपरेखा निर्धारित नहीं करते हैं।

मास्टर भोलु और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे।]

प्रासंगिक पहलुओं पर मूल्यांकन। बोर्ड को केवल एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनो-सामाजिक की सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है।

कर्मचारी या अन्य विशेषज्ञ। वर्तमान मामले में, केवल बच्चे का मानसिक आई. क्यू. प्राप्त करने के लिए सहायता ली जाती है। इसके अलावा, परिणामों को समझने की क्षमता और उन परिस्थितियों के बारे में भी जिसमें कथित अपराध किया गया था, किसी भी मनोवैज्ञानिक से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी।

86. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

87. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम संकेत दे सकते हैं कि अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य एक नाजुक कार्य है।

विशेषज्ञता की आवश्यकता और मामले के मुकदमे के संबंध में इसके अपने निहितार्थ हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह समीचीन प्रतीत होता है कि

और इस संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। बहुत कुछ के बिना विस्तार से, हम इसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य आयोग के लिए खुला छोड़ते हैं

88. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी जो मामले के गुण-दोष को छू रही हो, केवल इस उद्देश्य के लिए थी। इन अपीलों पर निर्णय लेने से बोर्ड या बाल न्यायालय या उच्च न्यायालय पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे आगे बढ़ सकते हैं

कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मामलों का निष्पक्ष रूप से निर्णय लें।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस (सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)